हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 29 मार्च, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाहन आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

29-03-2018/1100/NS/DC/1

प्रश्न संख्याः 329

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कितने स्वास्थ्य संस्थानों में सिक्योरिटी का कार्य ठेके पर दिया गया है और कितने सस्थानों में होम गार्ड के ज़वानों द्वारा कार्य किया जा रहा है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जो कार्य ठेके पर दिया गया है, क्या इसमें सिक्योरिटी का काम प्रोपर तरीके से हो रहा है या नहीं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 21 स्वास्थ्य संस्थान ऐसे हैं, जहां पर 100 बैड या इससे अधिक संख्या है, वहां पर सुरक्षा कार्य ठेके पर दिये गये हैं। यह संख्या लगभग 21 है। दूसरा, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि होम गार्ड के ज़वान कितने संस्थानों में सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि लगभग क्षेत्रीय अस्पताल, सोलन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नालागढ़, क्षेत्रीय अस्पताल, रिकांगपियो, क्षेत्रीय अस्पताल, ऊना, सिविल अस्पताल, कोटली और राजकीय दन्त महाविद्यालय, शिमला में होम गार्ड के ज़वान सिक्योरिटी के लिए लगाये गये हैं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि ठेके पर दिया गया यह कार्य क्या ठीक हो रहा है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर यह व्यवस्था की गई है, वहां पर उचित सिक्योरिटी सेवा दी जा रही है और यह कार्य ठीक हो रहा है।

29.03.2018/1105/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 329...जारी

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, सोलन, नालागढ़, रिकाँगपिओ और ऊना में होम गार्ड के जवान सुरक्षा का काम काम कर रहे हैं क्योंकि होम गार्ड के जवान वैल ट्रेंड होते हैं। वे पुलिस के मापदंडों के अनुसार वहां पर सुरक्षा का काम करते हैं। कई अस्पतालों में, मैं पांवटा का एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों वहां पर झगड़ा हुआ। वहां पर

डाक्टरों की पिटाई हुई। जो हमारे होम गार्ड के जवान हैं वे जितने दिन काम करते हैं उन्हें उतने ही दिनों की दिहाड़ी मिलती है और बाकी दिन वे घर बैठते हैं। साल में उनको 3-3, 4-4 या 5-5 महीने ही काम मिलता है। वे अपने परिवार का पालन-पोषण भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि बाकी अस्पतालों की सुरक्षा भी होम-गार्ड के जवान ही करेंगे ताकि उनके परिवारों का पालन पोषण हो सके?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-16 के दौरान सुरक्षा का काम निजी एजेंसियों को देना शुरू किया गया। दिनांक 17.09.2015 को पुनः निर्देश जारी किए गए कि इन निजी एजेंसियों को हटाकर सुरक्षा का काम होम गार्ड के जवानों को दिया जाए। परन्तु उसी समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। इस निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जितने भी होम गार्ड के जवान हैं उनका मानदेय पुलिस कौंस्टेबल के मानदेय या दिहाड़ी के आधार पर किया जाए। एक होम गार्ड का खर्चा लगभग 17-18 हजार रुपये के बीच में पड़ता था। इसलिए सरकार ने पुनः निर्णय लिया कि सुरक्षा का काम पुनः ठेके पर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को यह भी बताना चाहता हूं कि जो हम निजी एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा रक्षक रखते हैं, उस पर लगभग 10,363 रुपये खर्च आता है। जबकि होम गार्ड के जवान का खर्चा लगभग 17-18 हजार रुपये आता है। इस अनुपात में निजी एजेंसियों के लोग रखे जाते हैं और इसके लिए पारदर्शिता से टेंडर प्रक्रिया होती है। पांवटा में भी एक एजेंसी है जो सुरक्षा का काम करती है। इस एजेंसी में 13 लोग कार्यरत हैं। माननीय सदस्य ने यहां पर कोई दुर्घटना की बात बताई। यदि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है या ठीक ढंग से सुरक्षा नहीं हो रही है तो उसकी छानबीन करने के बाद हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा।

29.03.2018/1105/RKS/DC-2

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह ठीक है कि इन्हें पुलिस के मानदेय के आधार पर बेसिक 'पे' मिलती है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि होम गार्ड के

जवान को 12 महीने काम मिले? उनका काम प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है। उनको 3-3, 4-4 महीने ही काम मिलता है उसके बाद वे लोग घर बैठते हैं। उनके परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि होम गार्ड के जवानों को भी 12 महीने काम मिले।

अध्यक्षः मुझे लगता है कि यह विभाग अलग है। फिर भी माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत उचित है। लेकिन यह विषय माननीय मुख्य मंत्री जी से जुड़ा हुआ है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में अगर कुछ और करने के लिए होगा तो विभाग उस पर पोजिटीवली कार्रवाई करेगा।

29.03.2018/1110/बी0एस0/एच0के0-1

प्रश्न संख्याः 329 क्रमागत

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इन्होंने 10/63 का जिक्र किया है कि यह जो आई.जी.एम.सी. में सुरक्षा कर्मी हैं, ये कुशल, अकुशल या अर्धकुशल में शामिल हैं? अगर ये अर्धकुशल में शामिल हैं तो अर्धकुशल का न्यूनतम वेतन सरकार ने तय किया है उसे यह मिल रहा है या नहीं? दूसरा, इसको हम आउट सोर्स में मानेंगे या ठेके पर मानेंगे? तीसरा अगर इनके वेतन मान जो मिनिमम वेज बोर्ड ने तय किए हैं अगर नहीं दिए जा रहे हैं क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि ये दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननी अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि ये कुशल हैं या अर्धकुशल हैं, यह विषय तो हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी लेबर से संबंधित विषय है। आपके पास कोई ऐसा मामला है तो आप जरूर हमारे ध्यान में लाएं

जहां आपको लगता है कि कार्य पर लग तो गए परंतु बिल्कुल भी कुशन नहीं हैं, कद-काठी ठीक नहीं हैं या सुरक्षा नहीं दे सकते, यह एक बात हो सकती है । दूसरा आपने यह जानना चाहा है कि ये जो आउट सोर्स में लगाए गए हैं या ठेके पर रखे गए हैं तो कुल-मिला करके अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 2017 में एक मॉडल टेंडर डाक्यूमेंट तैयार किया गया, इस ठेके पर रखने के लिए और उसके उपरांत ऐ जो डाक्यूमेंट तैयार किया गया यह लगभग सभी अस्पतालों, सी.एम.ओ. हैं, एम.एस. है वरिष्ठ जो डाक्टर्स हैं वहां पर यह डाक्यूमेंट भेजा गया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये जो टैंडर प्रक्रिया है ये टैंडर प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि किसी भी अस्पताल के सी.एम.ओ. के ध्यान में आ गया और वह इस कार्य को अपनी मर्जी से कर दें। अध्यक्ष महोदय, इसमें वाकायदा टैंडर एम.एस. के लैवल पर इनवाइट किए जाते हैं। उसका तकनीकी विश्लेषण भी वहां पर होता है। इसके साथ-साथ वित्तीय तुल्नात्मक अध्ययन भी वहां पर होने के बाद ये टैंडर प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसलिए यह पादर्शी रहती है।

29.03.2018/1110/बी0एस0/वाई0के0-2

श्री पवन नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चम्बा में जितने भी इस तरह के सुरक्षा कर्मी हैं उनको 7200/- रुपये दिए जा रहे हैं और कुछ पैसा उसमें से काट कर उनके अकाउंट में 6200/- रुपये दिए जा रहे हैं। आपने बताया कि उन्हें 10 हजार से ऊपर दिए जा रहे हैं। एजेंसियों को पूरा पैसा दिया जा रहा है लेकिन सुरक्षा कर्मियों तक वह पैसा नहीं पहुंच रहा है।

अध्यक्षः आप पूछना क्या चाहते हैं आप क्या इसकी जांच करवाना चाहते है?

श्री पवन नैय्यर : जी हां, क्योंकि सरकार बता रही है कि हम 10 हजार से ऊपर दे रहे हैं जबकि उनको मात्र 6200/- रुपये मिल रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए।

29.3.2018/1115/DT/HK/-1

प्रश्न संख्या329..क्रमगात

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिन्ता वाज़िव है, यदि कहीं पर डिस्क्रिमीनेशन हो रही है यानि कम पैसे दिए जा रहे हैं **तो हम उसकी छानबीन करेंगे और उस कम्पनी या आउटसोर्स एजेंसी के खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये मैं माननीय सदस्य श्री पवन नैय्यर जी को आश्वासन देना चाहता हूं।**

श्री जगत सिंह नेगी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय न अभी कुशल और अकुशल की बात की है, जो मिनिमम वेज़िज एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो मिनिमम वेज़िज है, उससे कम आप नहीं दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि आप इन आउटसोर्स सिक्योरिटी परसोनल को जो वेजिज़ दे रहे हैं, क्या वह मिनिमम बेज़िज एक्ट के तहत आप पूरा दे रहे हैं? यदि आप नहीं दे रहे हैं तो यह जिम्मेवारी भी आपकी ही है। दूसरा, आउटसोर्स में जो लोग लगाये जा रहे हैं, क्या उसमें एस0सी0/एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के लोगों को आरक्षण के मुताबिक रखा जा रहा है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जो आउटसोर्स पर सुरक्षा कर्मचारी रखे गये हैं, इनको क्या मिनिमम वेज़िज दी जा रही है? मैं इनको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल दी जा रही है। अगर आपके ध्यान में ऐसी बात है कि कहीं नहीं दी जा रही है, तो आप हमारे ध्यान में लायें, हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे।

दूसरा, आपने रोस्टर की बात कही है। ये प्रक्रिया तो 2015-16 से आपने शुरू की है। **हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और अगर इसमें कोई खामियां होगी तो हम उसको दूर करेंगे।**

29.3.2018/1115/DT/HK/-2

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड लगा रखें हैं ये कोई भी ट्रेंड नहीं है। किसी के पास भी किसी ट्रेनिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो होमगॉर्ड के लड़के फ्री हो जाते हैं, क्या उनको इस काम पर नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि जो काम होमगार्ड का एक व्यक्ति करेगा ये 5 आदमी उस काम को करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो होमगार्ड के जवान फ्री हो जाते हैं, वे यहां पर लगाये जा सकते हैं क्योंकि वे ट्रेंड है और विभाग से भी हैं, वे इस काम को बढ़िया तरीके से देख लेंगे। इन आउटसोर्स वालों की वज़ह से नाईट ड्यूटी में बहुत प्रोब्लम आती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय,पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम इस पर अवश्य गौर करेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री सुख राम जी ने बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा इस माननीय सदन में लाया है। यह मसला होमगार्ड से जुड़ा हुआ है। अब हम इसको भटका कर दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें होमगार्डज़ की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। होमगार्डज़ के ज़वान डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में सिक्योरिटी के लिए तैनात किये जाते थे। उसमें बदलाव कर दिया गया क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने यह कोशिश की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिहाड़ी बढ़ा दी है तो इस प्रणाली को एकदम स्विच ओवर करके इसको बदल दिया जाए। अगर आपके ध्यान में हो तो आपको को पता होगा कि हम इस मामले को फिर केबिनेट में लाये और हमने इसको रिर्वस किया। हमने यह कहा कि होस्पीटलज़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं और होमगार्डज़ को फिर से होस्पीटलज़ मे लगाना चाहिए, विशेषतौर पर ज़िला होस्पीटल और बड़े होस्पीटलज़ में। माननीय सदस्य, श्री सुख राम चौधरी जी जो कह रहे है कि क्या आप यह सुनिश्चत करेगे की, आपने ये कहा कि प्रदेशव्यापी फैसला तो माननीय मुख्यामंत्री जी लेगे मुख्यामंत्री जी यहां नहीं है, लेकिन जहां तक होस्पीटलज़ का प्रश्न है, होस्पीटलज़ में सिक्योरिटी के लिए अनुशासन हो तो क्या आप उसके लिए पुनः यह आदेश देगे कि जितने भी होस्पीटलज़ हैं उनमें होमगार्डज़ को लिया जाएगा?

29.03.2018/1120/SLS-YK-1

प्रश्न संख्या : 329....जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने चिंता प्रकट की है। मुकेश जी, जब इस फ़ैसले में बदलाव हुआ था उस समय आप भी यहां पर माननीय मंत्री थे। वर्ष 2015 में अस्पतालों की सुरक्षा के लिए निजी एजैंसियों को काम देने का एक नियम बना। मुकेश जी, इन निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 17.09.2015 को...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मुकेश जी, मंत्री जी को पूरी बात कहने दीजिए, मंत्री जी/ जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...हम आपको समय देंगे। ...(व्यवधान)...आप मंत्री जी का जवाब बीच में नहीं रोक सकते।...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी हर क्वैश्चन को पोलिटिकल ट्विस्ट देने की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष : आपको परमीशन दी है और आपने अपनी बात रखी है। ...(व्यवधान)... आप हाथ खड़ा करिए और मैं आपको बोलने की परमीशन दूंगा।...(व्यवधान)... आप हाथ खड़ा करिए, मैं अनुमति दूंगा। ...(व्यवधान)...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मुकेश जी, मैं आपकी उसी बात का उत्तर दे रहा हूं जबकि आपको उसमें राजनीति नज़र आ रही है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात रखिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि 26.08.2016 को यह फ़ैसला किया गया कि यह काम पुनः होमगार्ड जवानों के लिए आऊटसोर्स करके ठेके पर दिया जाए। माननीय सदस्य चिंता प्रकट कर रहे हैं कि जहां पर सुरक्षा के लिए यह काम ठेके पर दिया जा रहा है, वो अच्छी सुरक्षा दें, बढ़िया सुरक्षा दें। इसके लिए माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो वहां पर कर्मचारी

लगे हैं वह ठीक सुरक्षा देंगे। उसके ऊपर हमारा विभाग भी और संबंधित सी.एम.ओ. या एम.एस. इस बात की चिंता करेंगे और अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसे ठीक करेंगे। अगर

29.03.2018/1120/SLS-YK-2

आपके ध्यान में भी कहीं पर कोई ऐसा मामला है तो आप ज़रूर उसे हमारे ध्यान में लाएं। यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ अफसरों ने यह काम कर दिया। क्या अफसर बड़े थे या आप बड़े थे, यह तो आपको ही सोचना है। अध्यक्ष महोदय, यह फ़ैसला तो आपको ही करना है क्योंकि आप एक माननीय सीनियर लीडर हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर विस्तारपूर्वक दिया गया है। जरयाल जी, क्या आपका सप्लीमैंटरी आवश्यक है? ठीक है, पूछिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि जो आर्मी परसोनल या रिटायर्ड फ़ौजी आर्मी में 15-18 साल सर्विस करके रिटायर होकर आ जाते हैं, वह कम आयु के होते हैं, उनसे बेहतर सुरक्षा हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई और दे नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बार्डर पर या एल.ओ.सी आदि स्थानों पर ड्यूटि दी होती है और उनके पास अनुभव होता है। उनको एज़ लिमिट रखकर नियुक्त किया जाए, ऐसा आश्वासन मैं मंत्री जी से चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जब यह टैंडर प्रक्रिया होती है तो हमीरपुर स्थिति एक्स सर्विसमैन कार्पोरेशन भी उसमें शामिल हो सकती है या होती है। जो हिमाचल प्रदेश का भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, हमीरपुर है, इस समय वहां के रिटायर्ड आर्मीमैन टाण्डा मैडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसलिए उनके पास भी ऑप्शन खुला है और वह इस बिड में शामिल हो सकते हैं।

प्रश्न समाप्त

29/03/2018/1125/RG/YK/1

प्रश्न सं.330

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन सीमेंट के तीन प्लांट्स अंबूजा सीमेंट, ए.सी.सी. सीमेंट और अल्ट्राट्रैक सीमेंट के लगे हुए हैं। वहां इनका सीमेंट हमारे क्षेत्र में महंगा और पड़ौस में सौ मीटर की दूरी पर पंजाब के क्षेत्र में सस्ता बिकता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी पंजाब के समान इस रेट को कम करने का प्रयास करेंगे?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पड़ौसी राज्यों से सीमेंट महंगा मिलता है। इसके कई कारण हैं। लेकिन उनके होते हुए भी सरकार का यह प्रयास है कि जिन कम्पनियों की इन्होंने बात की है, उनके साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के कारण यह समस्या आ रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टर हिमाचल प्रदेश के हैं और जो हमारे ट्रक्ज वहां लगे हैं, उनके रेट्स बहुत ज्यादा जिसके कारण यह समस्या आ रही है। जो इनकी चिन्ता है, वह मेरी भी चिन्ता है। **हमने सबको बुलाया है और उनके साथ हम बैठेंगे और इनको मैं इसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमेंट के रेट्स में कमी आएगी। मैं इनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।**

श्री राजेन्द्र राणा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी ने यहां किया है। माननीय मंत्री जी ने भी माना है कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा और पड़ौसी राज्यों में सस्ता है। वैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस रेट को कम किया जाएगा, लेकिन हम लोग यह जानना चाहते हैं कि कितने समय में ये इस रेट को कम करेंगे? जहां सीमेंट प्लांट्स लगे हैं, सड़कें हमारी टूट रही हैं, प्रदूषण और मिट्टी हिमाचल प्रदेश की जनता खा रही है। उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में लोगों को सीमेंट महंगा मिले, तो मुझे लगता है कि सरकार को जोरदार तरीके से इसकी पैरवी करनी चाहिए और सीमेंट के रेट्स पड़ौसी राज्यों की अपेक्षा सस्ते करने चाहिए क्योंकि पड़ौसी राज्य में सीमेंट पहुंचेगा, तो फ्रेट भी उनको ज्यादा पड़ेगा। हमारे घर में हमें सीमेंट महंगा मिल रहा है, तो माननीय मंत्री जी कितने समय में सीमेंट के रेट्स कम करेंगे?

29/03/2018/1125/RG/YK/2

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की भी चिन्ता वही है जो श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी की है और मेरी चिन्ता भी वही है। अब आप ये कह रहे हैं कि यहां बताकर जाओ कि कितने समय में सीमेंट के रेट्स कम करेंगे? **तो मैं कहना चाहूंगा कि सीमेंट के रेट्स हम जल्दी कम करेंगे।** पर्टिकुलरली कोई कट ऑफ डेट तो नहीं बता सकते, **लेकिन अतिशीघ्र रेट्स कम किए जाएंगे।** इसमें एक बात ध्यान में रहे कि सीमेंट के रेट्स सरकारों द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, यह अनियन्त्रित मद है और इस बारे में भारत सरकार की नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन हमारे यहां सब कुछ हो रहा है जैसा आप कह रहे है कि प्रदूषण हम खा रहे हैं और सड़कें हमारी टूट रही हैं। इसलिए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इनको **आश्वस्त करता हूं कि इन सारी चीजों के बारे में हम चिन्ता कर रहे हैं और इनको ठीक करेंगे।**

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर यहां दिया है, तो पहली बात तो यह है कि जैसा इन्होंने कहा कि ट्रकों का भाड़ा ज्यादा है, तो ये रेट्स फ्रेट की वजह से ज्यादा नहीं हैं। बाकायदा हिमाचल प्रदेश सरकार ने और वहां की सोसायटीज ने और उनके बीच में मालिकों का जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक ये रेट्स तय किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जो बरमाणा से सीमेंट जाता है, वह अमृतसर, लुधियाना या कीरतपुर जाता है और अन्य डेस्टीनेशन पर जाता है। कम्पनियां क्या कर रही हैं कि जो किराया है, उस सारे को छोड़ देती हैं और फिर उस पैसे पर रेट्स तय करते हैं। बिलासपुर में बरमाणा में यदि आपको सीमेंट लेना हो, तो फ्रेट 1800/-रुपये है,

29.03.2018/1130/जेके/एजी/1
प्रश्न संख्याः 330ः-----जारी-----

श्री राम लाल ठाकुरः-------जारी-------

चाहे वह गेट के बाहर ही हो। आप लोगों को भी पता है कि पिछली बार मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी मीटिंग्ज़ ली लेकिन वे कुछ नहीं करते हैं। एक बार उनका बयान आया कि 3 रूपए सीमेंट सस्ता हो जाएगा वही हुआ उसमें एक रूपए का फर्क डाला और फिर दो महीने के बाद वही रेट आ गया। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इनकी हिमाचल प्रदेश में

मोनोपली है। तीन ही कम्पनीज़ हैं जिनका सीमेंट यहां से आ रहा है और थोड़ा सा सिरमौर से आता है। हो यह रहा है कि जो यहां से ट्रक का भाड़ा है वह कई-कई कम्पनीज़ कम्पीट करने के लिए उस भाड़े को छोड़ती है क्योंकि पंजाब में सीमेंट दूसरी कम्पनीज़ का आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है। रॉ- मटिरियल भी हमारा खत्म हो रहा है, सारी धूल भी हमारे लोग खा रहे हैं और तब भी हमें सीमेंट यहां पर मंहगा मिले और बरमाणा में 1800/-रूपए गेट के बाहर फ्रेट लग जाए तो उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और क्या आप यह करेंगे?

अध्यक्षः वैसे प्रश्न भी और उत्तर भी एक ही है, फिर भी माननीय मंत्री जी का उत्तर और उसके बाद मैं मैक्सिमम दो सप्लीमेंटरी अलाऊ करूंगा।

उद्योग मंत्रीः माननीय राम लाल ठाकुर जी वही विषय है। जो आप चिन्ता कर रहे हैं और आप भी इस इंडस्ट्री में रहे हैं। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी अपने समय में प्रयास किया है। जैसे कि आपने कहा कि सरकार को इस मसले पर इन्टरवीन करना चाहिए। हम 100 प्रतिशत इन्टरवीन करेंगे। इसमें जो भी हल होगा उसको करेंगे, जिसके कारण आम आदमी को राहत मिल सके।

29.03.2018/1130/जेके/एजी/2

श्री सुभाष ठाकुरः अध्यक्ष जी,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिलासपुर तीन फेक्टरीज़ के पोल्यूशन की मार सह रहा है। बिलासपुर में ए0सी0सी0 है, अल्ट्राटैक है और अम्बुजा के सारे ट्रक वहां से जाते हैं। हमें यदि कोई भी मरीज़ चण्डीगढ़ ले जाना हो क्योंकि इनके 400 ट्रक है, हमें बहुत दिक्कत होती है । पंजाब में रेट्स कम हैं। बिलासपुर में बरमाणा के गेट के बाहर डिपो है उसमें ज्यादा रेट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चाहे प्रतिस्पर्धा के कारण है लेकिन हमारे ट्रक्स अगर किसी और कम्पनी का सीमेंट नीचे चण्डीगढ़ या पंजाब से ले कर आते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। हमारा जो यह सीमेंट है वह यहां से हमें मंहगा मिलता है और नीचे सस्ता मिलता है या

तो ट्रक ऑप्रेटर्ज़ को नीचे से दूसरी कम्पनी का सीमेंट लाने की इज़ाजत दी जाए क्योंकि यह मोनोपली टूटनी चाहिए। मेरा आपसे यह आग्रह है कि हमारे लोगों को सीमेंट सस्ता भी मिले और जो हमें दुविधा है उसका भी निवारण हो,ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी,कई ऐसे विषय है, जैसे कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि नीचे से ट्रक ले करके आता है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए और बातचीत होगी। मैं तो यह चाहूंगा कि और भी माननीय सदस्य हैं, उनको लगता है कि ये जो लीकेज़िज हैं इनको ठीक किया जाए। उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। जो भी आप सुझाव दे रहे हैं इसके ऊपर सरकार पूरे तरीके से काम करेगी और जो सीमेंट के रेट का बार-बार बढ़ना यह सभी की चिन्ता है, उसको हम ठीक करेंगे।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे पिछली सरकार के समय में भी लगते रहे हैं और इसका सरकार ने संज्ञान भी लिया। मैं, मंत्री जी का भार थोड़ा कम कर देता हूं कि दो-तीन फेक्टरीज़ जो पंजाब के बॉर्डर पर लगी हुई है। इसमें जो सीमेंट में 5 परसेंट जिप्सम व फ्लाइएक्स पड़ता है। 35 परसेंट इसकी क्वांटिटी होती है तो वह पंजाब में ही अवेलेबल है। पंजाब में अवेलेबल होने के कारण 65 परसेंट क्लिंकर हिमाचल प्रदेश से जाता है और 35 परसेंट पंजाब में अवेलेबल है। इसके कारण वहां पर कैरेज के कारण सीमेंट मंहगा मिलता है। दूसरा कारण यह है कि यह प्रतिस्पर्धा का युग है। हमारे पास तो तीन-चार कम्पनीज़ हैं। पंजाब में कम से कम 40 कम्पनीज़ सीमेंट दे रही हैं।

29.03.2018/1135/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः330 क्रमागत

श्री रमेश चंद ध्वाला क्रमागतः

इसलिए ये जो कम्पीटिशन है और हिमाचल में कैरेज़ ज्यादा है इसके कारण हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे यहां पर माननीय सदस्य जी ने कहा है कि जो हमारी सड़कें हैं इन पर 16-16 टायरी गाड़ियां आ-जा रही हैं जो सड़कों को खराब कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पर्यावरण को भी खराब कर रही हैं। इसके साथ ही सारी पहाड़ियों को काट करके चूने के पत्थर से

क्लिंकर बनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप कृपा करके इन कम्पनियों से बातचीत करें कि आप हमारे यहां पर पर्यावरण भी दूषित कर रहे हैं, सड़कों को भी खराब कर रह हैं और इसके अलावा हमारी पहाड़ियों को भी काट रहे हैं। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप सवाल पूछ लो।

श्री रमेश चंद ध्वालाः मैं यह कह रहा हूं कि मेरी माननीय मंत्री जी से यह रिक्वैस्ट है कि इसके एवज़ में क्या हिमाचल को ये कम्पनियां सीमेंट सस्ता देंगी? इनका कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बन रहा है और बिक रहा है तो हिमाचल प्रदेश को थोड़ी बहुत राहत पंजाब के बराबर सीमेंट का रेट करके दें। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इन कम्पनियों से ऐसी नेगोसियेशन की जाए।

उद्योग मंत्रीः माननीय ध्वाला जी ने सारा जवाब ही दे दिया। मेरी मदद करते हैं और कहते भी हैं कि मेरा उत्तराधिकारी है, पड़ोसी है। **आपकी चिन्ता बिल्कुल वाजिब है और जिन विषयों के ऊपर आप बात करने के लिए कह रहे हैं मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन सारे विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। मैंने पहले बोला है कि इसके अलावा और भी कई चीज़ें जोकि किसी के मन के अंदर हैं कि इन चीज़ों के कारण से रेट ज्यादा है। हम इसके बारे में उन कम्पनियों से बात करेंगे तो उससे सीमेंट सस्ता हो सकता है। यह सारे सदन की चिन्ता है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो-**

29.03.2018/1135/SS-AG/2

जो बहुमूल्य सुझाव आपके आए हैं और जो-जो सरकार इस तरफ कर सकती है वह करेगी और सीमेंट के रेट को कम करने की पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री सुख रामः मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सी0सी0आई0 राजबन हमारे क्षेत्र में है। पांवटा में 10-15 किलोमीटर में सीमेंट महंगा बिकता है और 100 किलोमीटर जाकर पंजाब में सस्ता मिलता है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि जहां पर सीमेंट प्लांट हैं वहां पर सीमेंट आम आदमी को सस्ते रेट पर

मिले ताकि आस-पास के 25 से 50 किलोमीटर के लोग अपने वाहनों में सस्ता सीमेंट अपने घरों में ले जाएं और जो ट्रक यूनियन है क्या आप इस तरह का विधान सभा में आश्वासन देंगे कि जब लोकल व्यक्ति अपने घर के लिए सीमेंट ले जाए तो ट्रक यूनियन उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं करेगी? लोकल आदमी काउंटर से आकर सीमेंट ले जाए तो उनको 20-25 रुपये सीमेंट सस्ता मिलेगा। यह बड़ा काम नहीं है दुकानें तो खोलनी हैं और वह कम्पनी ने ही खोलनी हैं, 50-50 किलोमीटर पर लोगों को सस्ता सीमेंट मिल जायेगा। इस तरह के आदेश आप उन प्लांटों को करिये ताकि लोकल लोगों को सीमेंट सस्ता मिले।

उद्योग मंत्रीः माननीय सुख राम जी, आपकी बातों में दम है और अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि जिनकी ट्रक यूनियन्ज़ हैं उनकी पैरवी करने हम ही लोग आयेंगे। **आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है इसको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है इसके बारे में चिन्ता करेंगे। आपकी बात ठीक है कि मोनोपली है जिसके कारण से जो चीज़ सस्ती आ सकती है वह महंगी मिल रही है। जो आपने सुजैस्ट किया है इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे।**

अध्यक्षः वैसे तो बहुत हो गया। हाथ अभी भी पांच-छः खड़े हैं। श्री राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि भाड़ा इसलिए महंगा है क्योंकि लम्बा सफ़र है। हम फ्रेट पर उनको सबसिडी देते हैं या नहीं देते हैं? वे फ्रेट पर सबसिडी क्लेम करते हैं या नहीं करते हैं यह मैं जानना चाहता हूं?

29.03.2018/1140/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 330 जारी----

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि जो ये बोल रहे हैं कि हम सबसिडी देते हैं या नहीं देते हैं, यह किसके लिए आप बोल रहे हैं? आप कम्पनी की बात कर रहे हैं या ट्रक वालों की बात कर रहे हैं?

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, हम कम्पनी की बात कर रहे हैं कि कम्पनी भारत सरकार से क्लेम करती है या नहीं?

उद्योग मंत्रीः माननीय सदस्य, जो आप बोल रहे हैं वह सबसिडी नहीं दी जाती है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है अगर इच्छा शक्ति मज़बूत होगी तो रेट भी कम हो जाएगा। अगर इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी तो रेट में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकारी सीमेंट आपको मिलता है, यह सरकारी सीमेंट अगर सिविल सप्लाई डिपार्टमैंट के माध्यम से रेट कॉंट्रैक्ट के तहत लेंगें और आम जनता को उपलब्ध करवाएंगें, क्या सरकार ऐसी नीति बनाने पर विचार करती है ताकि हिमाचल सरकार की जनता को सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट उपलब्ध हो सके?

दूसरे, जो तीन कम्पनियां लगी है, नालागढ़ में वे सबसिडरी हैं। उसमें रॉ मटीरियल लाया जाता है दाड़लाघाट से। उसके बाद सीमेंट तैयार किया जाता है। जो पंजाब में सीमेंट बिकता है, यह आपकी भी चिन्ता है कि पंजाब में सस्ता बिकता है और हिमाचल का रॉ-मटीरियल है, हिमाचल की सड़कें हैं। 12-12 टायर के ट्रक कितना टन लोड ले कर जाते हैं। यहां पर हमारी सड़कों का नुकसान होता है। क्या सरकार ऐसी नीति बनाएगी कि जो रॉ-मटीरियल वे ला कर नालागढ़ में सीमेंट बनाते हैं, उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस जिला में कम से कम उन लोगों को तो पंजाब से सस्ता सीमेंट मिले? यह तो आप कर सकते हैं।

तीसरे, एक सवाल मेरा फ्रेट से सम्बन्धित है। फ्रेट गेट के बाहर लग जाता है, जैसे राम लाल जी और सुभाष ठाकुर जी ने कहा। उस फ्रेट को आप किलोमीटर वाइज़ कि किस डैस्टिनेशन में पहुंचना है, अगर 10 किलोमीटर के डैस्टिनेशन में पहुंचना है तो उतना ही फ्रेट उसका लगे, यह भी आने वाले समय में आपके ध्यान में रहे। धन्यवाद।

29.03.2018/1140/केएस/डीसी/2

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो सुखविन्द्र जी ने इच्छा शक्ति वाला कहा, इच्छाशक्ति के मामले में हमारी सरकार पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए यहां आई है। इसमें कोई भी बाईपास, किन्तु-परन्तु कुछ नहीं लगेगा। हम साफ-सुथरा काम करेंगें। हम उनको बुलाएंगें उनसे बातचीत करेंगें। आपने जो-जो सुझाव

दिए हैं, जो आपने रेट्स की बात कही, मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। जैसे आप बोल रहे हैं, कम्पनी के साथ बैठ कर बात करेंगें। एक आपने कहा कि सिविल सप्लाई की तरफ से सीमेंट मिले तो आप लोग तो बड़े लम्बे समय तक सत्ता में रहे हैं। कुछ चीजें सम्भव नहीं होती। इसलिए आप जो बोल रहे हैं वह सम्भव नहीं है लेकिन जो सरकारी दायरे के अंदर काम चल रहा है, वह तो वैसे ही चलेगा। जिन-जिन कारणों से सीमेंट का रेट कम हो सकता है, यहां पर बहुत ही बहुमूल्य बातें आई हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम कोशिश करेंगें कि यह जो आपकी पीड़ा है, उसको कम किया जाए।

29.03.2018/1140/केएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 331

श्री राकेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो सुन्दरनगर में मौडर्न अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, इनमें कितनी राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाई जा रही है और कितनी राशि नगर परिषद सुन्दरनगर लगा रही है?

दूसरे, क्या यह प्रोजैक्ट कम्पलीट हो गया है? यदि हां, तो क्या इसका उद्घाटन हो गया है? अगर हो गया है, तो कितनी बार हुआ?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो वित्तीय लागत की बात की, जहां तक सुन्दरनगर का सवाल है, जैसे मैंने कहा परियोजना लागत 4.46 करोड़ रुपये है और

28.3.2018/1145/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 331----- क्रमागत

शहरी विकास मंत्री-------- जारी

और उसमें से विभाग द्वारा जो उनकी 1.52 करोड़ रुपये की राशि बनती थी वह पहले ही दे दी गई है। उसके बाद नगर परिषद, सुन्दरनगर द्वारा 2.94 करोड़ रुपये की राशि अभी उनको देनी है। अभी तक फर्म को केवल 2.2 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार पहले इसके 20 युनिट लगे थे और उस समय एक उद्घाटन हुआ था। उसके बाद कम्पलीट होने के बाद मुख्य मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है।

श्री राकेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, किसी प्रोजैक्ट को शुरू करने से पहले उसका शिलान्यास होता है। वहां 40 स्थान पर 80 डस्टबिन लगने थे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक प्रोजैक्ट का कितनी बार उद्घाटन होता है? एक बार होता है या प्रोजैक्ट का काम पूरा होने पर होता है?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले जितने डस्टबिन लगे थे उनका उद्घाटन हुआ है और अभी प्रोजैक्ट का काम पूरा होने पर इसका दोबारा उद्घाटन किया गया है।

श्री राजेन्द्र गर्ग : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद, घुमारवीं में कूड़े की समस्या भयंकर रूप ले चुकी है। वहां पर कूड़े के निष्पादन हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि घुमारवीं नगर परिषद के लिए कूड़े के निष्पादन हेतु कोई व्यवस्था बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही है? अगर बनाई जा रही है तो क्या व्यवस्था बनाई जा रही है?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां घुमारवीं नगर परिषद की चिन्ता व्यक्त की है तो निश्चित रूप से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा केन्द्र सरकार के माध्यम से जो भारत स्वच्छता अभियान चलाया गया है उसके तहत सभी जगह पर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए घुमारवीं के लिए भी

28.3.2018/1145/av/dc/2

हमारी सरकार उतनी ही संवेदनशील है। मैं यहां पर थोड़ा सा यह बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान के लिए हमें जो 30 करोड़ रुपये की राशि अलॉट हुई थी उसमें से हमें कम्युनिटी टॉयलैट, इण्डिविजूअल टॉयलैट, सोलिड वैस्ट मेनेजमैंट और जागरुकता अभियान जैसे अनेक कार्यक्रम करने थे। मैं मंत्री के रूप में विभाग की जिम्मेवारी लेती हूं लेकिन यहां पर जैसे माननीय सदस्य ने घुमारवीं की चिन्ता व्यक्त की है तो पहले यहां पर धर्मशाला, सुन्दरनगर और पांवटा साहिब; ये तीन जगह ही चिन्हित की गई थी। विभाग को टोटल वर्क्स के लिए 9.10 करोड़ रुपये की राशि आई थी मगर उस समय की सरकार ने सारे-का-सारा पैसा डस्टबिन में लगा दिया। अब उस समय की सरकार की मन्शा क्या थी यह मेरी समझ से बाहर है। लेकिन हमारे पास केंद्र सरकार से स्वच्छता अभियान के तहत जो भी राशि आयेगी उसके तहत बाकी जगह का भी ध्यान रखेंगे। उसी के अनुरूप घुमारवीं के लिए मैं आश्वासन देती हूं कि केंद्र से हमें अगली जितनी भी राशि आयेगी हम उसका सदुपयोग स्वच्छता अभियान में करेंगे। इस मिशन के तहत जो अलग-अलग कार्यों का लक्ष्य रखा गया है हम उसको भी करेंगे। पिछली सरकार ने तो केवल डस्टबिन ही अपना मिशन रखा था। अब मुझे तो सारे कार्य पूरे करने हैं। उस कार्य को कैसे करना है, उसकी गुणवत्ता देखनी होगी, कैसे लगे हैं और कहां जरुरत थी, क्या इसके लिए केवल तीन जगह ही चिन्हित की गई थी; विभाग इन सारी बातों पर पूर्ण रूप से संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।

अध्यक्ष : वैसे तो यह प्रश्न एक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित था और इसको ज्यादा बढ़ाना अच्छा नहीं होगा। फिर भी मैं माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी को अंतिम अनुपूरक प्रश्न करने का मौका देता हूं।

29.03.2018/1150/TCV/HK-1

प्रश्न संख्याः 331. क्रमागत्

श्री नरेन्द्र ठाकुरः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अंडर ग्राउंड डस्टबिन सुन्दर नगर में लगे हैं, क्या जो बाकी नगर परिषदें हैं, वहां भी सरकार इनको लगाने का विचार रखती है? यदि लगाने का विचार रखती है तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? क्या हमीरपुर में भी आप ये अंडर ग्राउंड डस्टबिन लगाएंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमीरपुर में डस्टबिन लगवाने के बारे में बात की है। मैंने पहले ही बता दिया है कि यह पूर्व प्रस्तावित पायलट प्रोजैक्ट है, जिसमें 3 स्थान चयनित किए गये थे। इसमें कई समस्याएं है और इसको विभाग धीरे-धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने बताया कि स्वच्छता के नाम पर जितना पैसा आया है, उसको हमने बहुत-सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स, इंडिविजूअल टॉयलेट्स, सोलिड वैस्ट और जागरूकता अभियान इत्यादि में अलग-अलग पंचायतों व नगर परिषदों में डिस्ट्रिब्यूट करना था। लेकिन यह सब करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो अगर विदेशों में देखा जाएं तो डोर-टू-डोर गारबेज़ कलैक्शन ही एक बैस्ट तरीका है। उसके बाद उसको सॉलिड वैस्ट के प्लांट लगाकर डिस्पोज़ ऑफ़ करनी की तकनीकी विदेशों में भी अपनाई जा रही है। लेकिन यहां पर उस समय प्राथमिकता में डस्टबिन को चुन लिया गया, तो इसके पीछे बहुत-सारे प्रश्न हैं। हम इसको पूरा करेंगे। यदि आपको इनकी जरूरत होगी तो **उस तरीके से ही उसको सॉल्व करेंगे। धर्मशाला में विभाग कूड़े का समाधान करने के लिए एक प्लांट लगाएगा और उसके बाद अन्य स्थानों पर इस तरह के कूड़े के प्लांट्स लगाने पर विचार करेंगे**। आपसे भी इस बारे में अवश्य राय लेंगे। धन्यवाद।

29.03.2018/1150/TCV/HK-2

प्रश्न संख्याः 332

श्री रविन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के (घ) भाग में जो सूचना मांगी गई थी, उसका भाव था कि बैंक द्वारा वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान एक करोड़ एवं इससे

अधिक राशि के स्वीकृत ऋणों की संख्या व राशि तथा इन खातों की अद्यतन स्थिति। यदि Quick Mortality ऋण खातों में हैं, तो ऋण खातावार स्थिति व की गई कार्रवाई से अवगत करवाएं। लेकिन जो विभाग द्वारा सूचना दी गई है, वह है कि गत एक वर्ष के एन0पी0ए0 खातों का खातावार ब्यौरा। इसमें लगभग 2006 से जो खाते एन0पी0ए0 श्रेणी में दर्शाये जा रहे हैं, उनकी सूचना दी गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न के (घ) भाग में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी गई है,वह दी जाये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी प्रश्नकर्त्ता ने जो प्रश्न **पूछा है और इसमें जो 2006 से पूर्व की सूचना इन्होंने मांगी है,उसे इन्हें उपलब्ध करवा देंगे।**

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जितनी ये सूचना दी है, इसमें विदेश के 4 दौरे बताये गये हैं। जबकि 7 दौरे तो ऑफिशियली लगाये गये हैं और 17 अन्य दौरे विदेश के किये गये हैं। दूसरा, एन0पी0ए0 की इन्होंने जो बात की है, इसका विभाग ने जो जवाब दिया है, वह हमारी समझ से बाहर है। इस व़क्त इस बैंक का एन0पी0ए0 21 प्रतिशत् है। जबकि आर0बी0आई0 के रूल्ज़ के मुताबिक 10 परसेंट के बाद Bank has to be closed. What are you doing? माननीय मंत्री जी ये बैंक 21 परसेंट से ऊपर का एन0पी0ए0 क्रॉस कर चुका है। हम लोग स्टेक होल्डर हैं। हमारे दादों-पडदादों ने इस बैंक को पैदा किया है। How this Bank was formed? ये कांगड़ा के लोग जानते हैं। आज वहां पर जिस तरह से सरकार और बैंक के बीच में विवाद चल रहा है, इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। इनका कुछ नहीं जा रहा है। चेयरमैन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। It is not matter of concern for the people of Kangra.

29-03-2018/1155/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 332-----जारी।

श्री राकेश पठानिया -----जारी

आज हमारा matter of concern यह है कि आज यह बैंक 21 प्रतिशत का एन0पी0ए0 क्रोस कर गया है और जो ये चेयरमैन सात चक्कर विदेश के लगा करके आये हैं, यह क्या को-ऑपरेटिव मूवमैंट के बारे में सीख करके आये हैं? यह अच्छा को-ऑपरेटिव मूवमैंट सीख करके आये हैं। आज सरकार के पैसे का तो दुरूपयोग हुआ ही हुआ but what is the end result for the people of Kangra? यह कांगड़ा का ही बैंक नहीं है बल्कि आधे हिमाचल प्रदेश का बैंक है। आज यह बैंक डूब रहा है। क्या मंत्री महोदय इस बैंक को बचाने की कृपा करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में माननीय सदस्य ने विदेश टूअर को ले करके जो विषय इस माननीय सदन में उठाया है। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि सिर्फ बैंकिंग का ही प्रश्न नहीं है बल्कि और भी कई विभाग ऐसे हैं। अगर हम बैंकिंग की ही बात करें तो हमारे देश के अंदर बैंकिंग की पूर्ण विकसित प्रणाली है। यहां नेशनलाईज़ड बैंक और प्राईवेट बैंक हैं। अब हिन्दुस्तान में विदेशी बैंक भी आ रहे हैं। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि जो फोरेन टूअर होते हैं, ये learning के परपज़ से होते हैं कि हम अपनी परफोरमैंस को किस प्रकार से बैटर बनायें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर इतनी विकसित बैंकिंग प्रणाली है, उसके अन्तर्गत किसी भी फोरेन टूअर की जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। मैं यह बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूं। मेरे पास इसकी सूची है कि ये कहां-कहां गये हैं? ये पताया, थाईलैंड, रूस, यू0के0 गये हैं। मैं आपको इसमें दो आश्वासन देना चाहूंगा। **पहला यह कि अगर विभाग की इज़ाजत के बिना कोई फोरने टूअर हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।** दूसरा, मैं आपको आश्वासन यह देना चाहूंगा कि फोरेन टूअर सिर्फ साइट सींग और लुत्फ़ के लिए न हों। **हम इसको बिल्कुल this practice of going to other nations for whatsoever purpose it may be, we will definitely curve this practice and bring it in Rules. हम रूल्ज़ फ्रेम करेंगे और इस प्रैक्टिस को बिल्कुल कट करेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं।** माननीय सदस्य ने जो एन0पी0ए0 की बात कही

29-03-2018/1155/NS/HK/2

है, यह बात ठीक है कि आपने जो चिन्ता ज़ाहिर की है और 21 प्रतिशत एन0पी0ए0 के बारे में आपने बोला है। वर्तमान में जो फिगर्ज़ मेरे पास हैं, उसके मुताबिक लगभग 3600 करोड़

लोन के अंगेस्ट 584 करोड़ रुपये का एन0पी0ए0 है, जो 15 प्रतिशत बनता है। ये मामला बड़ा संगीन है और इसमें विभाग ने भी जांच की है तथा अभी दो दिन पूर्व ही विभाग की एन0पी0एस0 को ले करके रिपोर्ट आई है। आपकी यह शंका ठीक है कि जो 15 प्रतिशत की फिगर है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मुझे आशंका है कि यह 20 या 21 प्रतिशत बनेगी। **मैं माननीय सदस्य को इस हाउस में आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पूर्णतया इसकी जांच करेंगे और जो विभागीय रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर अगर कोई अनियमितता लोन देने में बरती गई है और नियमों का पालन नहीं हुआ है तो हम नियमानुसार दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।**

अध्यक्षः हमीरपुर में भी कांगड़ा सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ही चलता है।

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कांगड़ा कोप्रेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, क्या वे चुने हुये हैं? अगर चुने हुए हैं तो इनका टैन्योर कब तक है? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से सरकार बदली है, 8 तारीख को उनके रिश्तेदारों के स्टोन क्रशर पर पूरा प्रशासन जाता है और पूरी पुलिस जाती है, उनके पास 20 मीटर सड़क में वन विभाग की ज़मीन आती है तथा उसे बंद कर दिया जाता है तथा उनको धमकियां दी जाती हैं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय सदस्य यह प्रश्न नहीं है। मंत्री जी उत्तर होगा तो देंगे। ठीक है। आप जल्दी प्रश्न पूछ लो, उत्तर मांगना है, समय हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, यह बैंक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या चेयरमैन को हटाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है या नहीं?

29.03.2018/1200/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः332... जारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की चिंता उनको शील्ड करने की है। यह श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार है। जैसा पिछले 5 वर्षों में हमारे लोगों के साथ होता रहा, मैं बड़े

दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा भेदभाव इस सरकार में नहीं होगा। जिस क्रशर की आप बात कर रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई हुई होगी तो वह किसी सूचना के आधार पर हुई है। दूसरा, क्रशर के लिए रास्ता फोरैस्ट लैंड से होकर जाता है। रास्ता बनाने के लिए पेड़ काटे गए, अतिक्रमण हुआ और अवैध खनन भी वहां पर हो रहा है। क्या इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है? (...व्यवधान...) वह चाहे किसी भी दल का हो, सामने से भी हमारे सदस्यगण बोलते रहे हैं। (...व्यवधान...) लेकिन बेईमानों की कोई पार्टी नहीं होती है। (...व्यवधान...) उसके लिए आप प्रश्न अलग से लगाएं तो हम उसका जवाब देंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

29.03.2018/1200/RKS/YK-2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कुछ काग़जात सभा पटल पर रखेंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, सहायक रसायनज्ञ,वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए-ए.(3)-2/2016 दिनांक 19.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.06.2017 को प्रकाशित;
ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 201 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए-ए.(3)-3/2016 दिनांक

19.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.06.2017 को प्रकाशित;

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता(यान्त्रिक), वर्ग-I(राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए(3)-17/94-I दिनांक 01.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.04.2017 को प्रकाशित;

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए.3(1)-2/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

29.03.2018/1200/RKS/YK-3

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.(ए)3 (1)-4/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, पम्प परिचालक, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.(ए)3(1)-4/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनिशियन(फिटर), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.(ए)2(बी)15-7/2016 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित; और

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनिशियन (पम्प आपरेटर), वर्ग-III(अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए-सी.-5(9)2/95-II दिनांक12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित।

29.03.2018/1200/RKS/YK-4

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट), सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का प्रथम प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि बारहवीं विधान सभा के चौदहवें एवं सोलहवें सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि बारहवीं विधान सभा के चौदहवें एवं सोलहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।

29.03.2018/1200/RKS/YK-5

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं पारण।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। क्योंकि आज चर्चा का अंतिम दिन है। इसलिए आज ही विनियोग विधेयक की पुरःस्थापना और उस पर विचार-विमर्श एवं पारण भी होगा। पक्ष व विपक्ष की सहमति के अनुरूप मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 196(7) के अंतर्गत आज दोपहर बाद 2.30 बजे गिलोटिन लगा दिया जाएगा। अतः सभी माननीय सदस्यों से पुनः मेरा निवेदन है कि वे कम-से-कम समय में अपनी बातें कहें। अब मैं मांग संख्याः 8-शिक्षा को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं। तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः8-शिक्षा के अंतर्गत राजस्व और पूजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम-3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 61,24,08,90,000/- रुपये (राजस्व) एवं 1,05,72,15,000/- रुपये(पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस मांग पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, अनिरूद्ध सिंह, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, राम लाल ठाकुर, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री नन्द लाल, लखविन्द्र सिंह

राणा, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से आठ कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहेंगें या उनकी ओर से मैं प्रस्तुत हुआ समझूं?

सदस्यणगणः प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जो इस प्रकार से हैंः-

29.03.2018/1200/RKS/YK-6

मांग संख्याः 8- शिक्षा

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्या

नीति का अननुमोदन 8

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

चशिक्षाछ

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री,
श्री अनिरूद्ध सिंह,
श्री हर्षवर्धन चौहान,
श्री जगत सिंह नेगी,
श्री राम लाल ठाकुर,
श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,
श्री नन्द लाल,
श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
श्री विक्रमादित्य सिंह,
श्री आशीष बुटेल,

श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन।
2. सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों का रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नये शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय खोलने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में भर्ती की नीति का अननुमोदन ।
5. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन ।

29.03.2018/1200/RKS/YK-7

2. <u>सांकेतिक कटौती</u>

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
चशिक्षाछ की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

<u>श्री हर्षवर्धन चौहान :</u>

1. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पाठशालाओं में रिक्त पड़े पदों की पदपूर्ति न करने में सरकार की असफलता ।

2. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जामना, तत्याना, टिम्बी तथा नैनीधार के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता ।

3. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में कफोटा और रोनाहट के महाविद्यालय के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता ।

मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं।

माननीय सदस्यों से और कांग्रेस विधायक दल के नेता से मेरा आग्रह है कि जितने सदस्य नामित हुए हैं, यदि संख्या में आप कटौती कर सके तो हम समयावधि में गिलोटिन लगा सकेंगे अन्यथा मंत्री का उत्तर बीच में रह जाएगा। आप अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे सूची में कटौती देने का कष्ट करेंगे। अब मैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करता हूं।

29.03.2018/1205/बी0एस0/वाई0के0-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जो आपने बोलने वालों की लिस्ट के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि जिस क्रम में ये सूची दी गई है वैसे ही बोलना सही रहेगा। बाकी मंत्री जी अपने उत्तर के लिए कितना समय लेंगे इस पर निर्भर करेगा।

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर देने के लिए कितना समय लेंगे?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी , विपक्ष के कितने सदस्य बोलते हैं और उसमें कितना समय लगना है, इस पर निर्भर करेगा, परंतु मैं 15-20 मिनट ले लूंगा। यदि विपक्ष 2.10 बजे तक अपनी चर्चा खत्म करता है तो मैं 2.30 बजे तक अपना उत्तर समाप्त कर दूंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय,जब से सत्ता परिर्वन हुआ है प्रदेश में सरकार बदली है, शिक्षा जगत में एक अनिश्चितता का

माहौल पैदा हो गया है और शिक्षकों में इस सरकार ने एक हड़कंप मचा रखा है और रोज अखबारों के पूरे-पूरे पन्ने छप करके आ रहे हैं, "असमंजस में सरकार", "एक्ट लाएं या पॉलिसी", "गुस्से में शिक्षक", "90 हजार से ज्यादा शिक्षकों का भविष्य.... और ये जो आते ही सरकार ने शिक्षा जगत में ये माहौल खड़ा किया है और माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि एक्ट लाना है, पॉलिसी लानी है इस पर विचार हो रहा है। अभी विधान सभा का सत्र चल रहा है तो मंत्री जी कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो पिछले दो-अढ़ाई महीनों से इस तरह के समाचारों से भरी हुई अखबारें क्यों आ रही हैं। कुछ तो हुआ, जिसके चलते यह केटगरी-वन, केटगरी-दो, केटगरी-तीन, जोन-एक, जोन-दो पता नहीं रात के अंधेरे में क्या-क्या बना दिया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये कौन सा टोडरमल आपको नया मिल गया, जिसने आपको इस थ्योरी पर डाल दिया।

29.03.2018/1205/बी0एस0/वाई0के0-2

ये बहुत बड़ा विभाग है, इसकी लगभग 250 तो यूनियनस ही होंगी। इसकी पता नहीं कितनी केटागरी हैं। आप कहां पर हाथ डाल रहे हैं। अगर आप अब तक किसी सही दिशा पर चलते तो कुछ अब तक अच्छा परिणाम निकल कर आता। जहां भी जाएं शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं । अगर आपको तबादला नीति बननी है तो आप प्रदेश के सभी कर्मचारियों की तबादला नीति बनाईए, आप क्यों एक विभाग के कर्मचारियों की तबादला नीति बनाने की बात कर रहे हैं। जो भी आप एक्ट ला रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं इसमें अगर आप सबकी राय लेते तो अच्छा होता। अब तो सत्र भी समापन की ओर बढ़ रहा है। कितनी आपने अखबारों में चर्चा करवा ली और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को परेशन कर दिया यह सही नहीं है। माननीय मंत्री जी तीन बाते ट्रांस्फर पॉलिसी, शिक्षा नीति और रूसा, इनके बारे में बहुत बड़ी- बड़ी बातें की गई। अब 100 दिन भी सरकार के होने जा रहे हैं। हमने समझा कि अब तक शिक्षा में कोई विजन आ जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि यहां अखबारों में क्या-क्या छप रहा है।

29.3.2018/1210/DT/AG /-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री ...जारी

ये कौन सी केटेगरिज़ हैं, फलां को प्रमोशन नहीं मिलेगी, फलां अगर फलां जगह नौकरी नहीं करेगा तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी। मुझे कुछ अधिकारी बता रहे थे कि मंत्री जी खट्टर साहब के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उधर तो बैंड बज जाना है, अब अपना बैंड बचा करके रखो। 90 हजार कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, इस तरह से आप एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश न करो। इस सारे को रोक करके और उनको विश्वास में ले करके फिर आपने कोई चर्चा करनी है तो करो। आपने कैबिनेट में रोक लगा दी कि शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे, जबकि लम्बी-लम्बी लिस्टें निकल रही हैं, और तो और अध्यक्ष महोदय रविवार के दिन भी लिस्टों को निकानले के लिए ओवर टाइम किया जा रहा है। अभी छुट्टी के दिन प्रिंसिपल की लिस्ट छप गई, मुख्य मंत्री जी इस बारे में आप भी संज्ञान लें। अध्यक्ष महोदय उससे भी बढ़कर भास्कर अखबार में छपा कि मरे हुए भी बदल दिए गए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बार-बार इस माननीय सदन में यह जिक्र आया अखबार ने छाप दिया और आपने पढ़ लिया मैंने पिछली बार भी एक निवेदन किया आप मुझे उस व्यक्ति का, उस कर्मचारी का नाम दें, मैं जांच करूंगा। मुझे जांच करने का मौका उसमें दे दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी तो सर्वो-सर्वा हैं, सरकार इनके पास है अखबार में व्यक्ति नाम छपा है, यदि आप जांच करवाना चाहते हैं तो आप उस खबर पर जांच के आदेश दीजिए। आपके पास पूरा तंत्र है, अखबार में नाम छपा है कि फलां आदमी की मृत्यु हो चुकी है, फलां आदमी रिटायर हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य

मंत्री जी को तो पूरी जिम्मेवारी से बोलना चाहिए। अगर यह नहीं छपा है तो आप अखबार में कंट्राडिक्शन भिजवाएं कि ऐसा नहीं हुआ है।

29.3.2018/1210/DT/AG /-2

मुख्य मंत्री : अगर आपके पास वह अखबार की कटिगं है, क्योंकि मेरे पास नहीं है तारीख आप बता दें समाचार पत्र का नाम आप बता दें और उसके बाद मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं अगर इस प्रकार से ऐसे आदमी की ट्रांस्फर हुई है जो दुनिया में नहीं तो मैं सारे मामले की जांच करूंगा। लेकिन आप इस मामले में मुझे मदद कीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग भी माननीय मुख्य मंत्री के पास है और जिला भी इनका है। .....(व्यवधान).... मैंने कल भी कहा कि आपको डेपुटेशन पर यहां (विपक्ष) में ले आएंगे क्योंकि यह समय हमारा है।

अध्यक्ष : प्लीज....प्लीज....

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत इस सदन में आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि मुख्य मंत्री जी शर्मिंदा हों। लेकिन जो हो रहा है, शिक्षा विभाग में उसमें नजर रखने की जरूरत है। पहले कहा जाता था कि रूसा हम खत्म कर देंगे। आपने विजन डॉक्यूमेंट बनाया आपने उसमें लिख दिया कि रूसा हम खत्म करेंगे। हमारे समय में लगातार सारे संगठन शिक्षा के कह रहे थे कि रूसा खत्म होनी चाहिए तो बड़े-बड़े वायदे किए गए । मुझे याद है आरणीय ब्रक्टा जी यहां नहीं बैठें हैं, धूमल साहब इनके चुनाव क्षेत्र में गए, अगले दिन अखबारों की पहली हैड लाइन थी कि सरकार बदलते ही रूसा खत्म की जाएगी। अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि रूसा मैं खत्म नहीं करूंगा रूसा तो चलाई जाएगी, इसमें हल्का-फुल्का परिर्वतन अवश्य किया जाएगा।

29.03.2018/1215/SLS-AG-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री ...जारी

अध्यक्ष महोदय, क्या प्रदेश के स्टुडैंट्स को गुमराह करके वोट बटोरने की कोशिश की गई? आज आप सत्ता में बैठने के बाद ये बात कह रहे हैं कि रूसा प्रणाली समाप्त नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, इन 3 बिंदुओं पर मंत्री जी को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए कि क्या आपके वायदे के अनुरूप रूसा प्रणाली समाप्त होगी या नहीं? क्या आप कर्मचारियों की ट्रांसफर को लेकर कोई एक्ट या पॉलिसी तैयार कर रहे हो या नहीं? जो अख़बारों में आ रहा है, यह क्या है? आपकी शिक्षा नीति क्या इशारा करने जा रही है? बजट में तो शिक्षा नीति को लेकर कोई ज्यादा इशारा है नहीं। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी से आग्रह ही नहीं किया होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने शिक्षा विभाग अपने पास रखा था क्योंकि शिक्षा के बारे में वीरभद्र सिंह जी हमेशा से चिंतित रहे।...(व्यवधान)... ध्वाला जी, आप बहुत सीनियर मैंबर हैं, आपको तो मीनिस्टर होना चाहिए था लेकिन आप नहीं हैं। परंतु आप ऐसी स्वीपिंग स्टेटमैंट्स मत दें। वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जितना बड़ा काम किया है, किसी और मुख्य मंत्री ने नहीं किया।...(व्यवधान)...इन्होंने बड़ा काम किया है।...(व्यवधान)...आज हमें इस बात का फ़क्र है, ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज शांत रहें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का फ़क्र है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़े राज्यों की श्रेणी में हैं और हमें लगातार पुरस्कार मिलते रहे हैं। अगर आज हिमाचल की बेटियां पढ़ रही हैं, अगर आज हिमाचल में लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है तो उसका श्रेय वीरभद्र सिंह जी को जाता है जिन्होंने कोने-कोने में कॉलेज खोले। आज कॉलेजिज का विरोध हो रहा है। ...(व्यवधान)... आज स्कूलों और शिक्षण संस्थानों का विरोध हो रहा है।...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, इनमें से जो सदस्य चाहते हैं, वह अपने कॉलेज बंद करवा लें। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के कोने-कोने में कॉलेज चलें। ...(व्यवधान)...ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉलेज को वीरभद्र सिंह जी ने 5.00 करोड़ रुपया दिया है। ...(व्यवधान)...

29.03.2018/1215/SLS-AG-2

अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल यूनिवर्सिटी को बड़े लंबे अर्से से राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया है क्योंकि वहां के सांसद कुछ चाहते हैं, विधायक कुछ चाहते हैं। अब मुख्य मंत्री जी का ब्यान आया है, मंत्री जी का भी ब्यान आया है कि हम 2 महीनों में यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। हम चाहेंगे कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना में डिले हो रहा है, उसको जल्दी-से-जल्दी स्थापित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, कैसे हालात चल रहे हैं। सरकार को बने 100 दिन होने जा रहे हैं लेकिन आप यूनिवर्सिटी में वाईस चांसलर तक नहीं लगा पा रहे हैं। आप जिसको भी लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिना वाईस चांसलर से चले, यह ठीक नहीं है। आप जिसको भी लगाना चाहते हैं लगाइए, आपकी सरकार है लेकिन इस पर जल्दी-से-जल्दी फ़ैसला हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च का काम है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पर विभाग खोल दिए गए हैं; कोई टूरिज्म का डिपार्टमैंट है तो कई दूसरे डिपार्टमैंट हैं। क्या आप रिसर्च को सरकार की नीतियों के साथ जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या सारा समय दूसरी बातों में जा रहा है?

आज इन्होंने आशा कुमारी जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रदेश के स्कूलों मे 30,000 पद खाली हैं, हालांकि वीरभद्र सिंह जी ने एक्सपैंशन के बावजूद बड़े पैमाने पर पद भरे हैं। आप पी.टी.ए. को लेकर, पैट को लेकर नई-नई बातें कह रहे हैं कि 6 महीने के कोर्स करवाएंगे, फलां करवाएंगे लेकिन उनको रैगुलर करने के बजाय और एस.एम.सी. वालों के लिए पॉलिसी लाने के बजाय आपने उनका थोड़ा-सा पैसा बढ़ा दिया। लेकिन हम चाहेंगे कि आप पी.टी.ए., पैट, पैरा-टीचर्ज़ और एस.एम.सी. के साथ कोई धोखा न करें, राजनीतिक द्वेष से न चलें। इनको रैगुलर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।...(घंटी)... अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष : आप बोलते रहेंगे तो आप ही के सदस्यों का समय कटेगा।

29/03/2018/1220/RG/DC/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री:माननीय मंत्री जी यह जरूर स्पष्ट कर दें कि क्या इनके घोषणा-पत्र के मुताबिक 'रूसा' सिस्टम समाप्त हो रहा है या नहीं? इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह कि जो एक लाख कर्मचारियों पर इन्होंने तबादलों की तलवार टांग रखी है और रोज़ पॉलिसी और ऐक्ट की बात की जा रही है, क्या इस पर ये विराम लगाने जा रहे हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

29/03/2018/1220/RG/DC/2

अध्यक्ष : कृपया अगले माननीय सदस्य तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अब श्री अनिरूद्ध सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे मांग-8, शिक्षा पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से 2-3 स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्योंकि शिक्षा समाज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसी से सबका बेस बनता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्लस टू के बच्चे आठ का पहाड़ा भी नहीं सुना पाते। इसके ऊपर अवश्य गौर करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। जो प्रवक्ता प्लस टू को पढ़ाते हैं, वे सप्ताह में केवल एक या दो पीरियड ही लेते हैं या दो-तीन लैक्चर ही एक सप्ताह में देते हैं। ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आठवीं या दसवीं ऑनवर्डज़ कक्षाओं के बच्चों को वे पढ़ा सकें। यह बहुत अच्छा सुझाव है इससे हमारी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। कॉलेजों की स्थिति माननीय मंत्री जी के ध्यान में है। आर.के.एम.वी. में छात्राओं की किस प्रकार से भीड़ रहती है। मलयाणा में 39 बीघा जमीन उपलब्ध है। यह शहर के साथ लगता है। यदि मलयाणा में एक और कॉलेज खोल दिया जाए, तो हम माननीय मंत्री जी के आभारी रहेंगे। अब शहर में तो जगह नहीं है। इसलिए एक और कॉलेज खोलने का प्रावधान करें।

अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कसुम्पटी चुनाव क्षेत्र के कॉलेजों में अध्यापकों की 80% कमी है। कई जगह तो ताले लगने के कगार पर हैं। माननीय मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान दें और इसको रेशनलाईज किया जाए और अध्यापकों को स्कूलों में भेजा जाए। जैसे हमारे यहां पीरन, धाली, जुनेरघाट, घड़ेच और ग्राम पंचायत कुर्फी में सतोग में एक-एक अध्यापक स्कूलों में है और वे पूरे हाईस्कूल को चला रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, कृपया इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे चुनाव क्षेत्र में जिन स्कूल-कॉलेजों के भवन कम्पलीट नहीं हैं उनके लिए धन का प्रावधान किया जाए। जैसे सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कैरकुटी, धड़ेच, चियोग इत्यादि में भवन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए। यदि हम मॉडल स्कूल की बात करें, तो हर चुनाव क्षेत्र में दो मॉडल स्कूल देने की बात कही गई थी, परन्तु मापदण्ड में ही खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए इनको खोलने के लिए मापदण्डों में ढील दी जाए। हमारे यहां तो जुनगा और मशोबरा दो स्कूल हैं जो इसके मापदण्डों के

29/03/2018/1220/RG/DC/3

तहत आ रहे हैं। जो हमने लिखित भी दिया था। लेकिन मशोबरा की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है और यह माननीय मंत्री जी को भी पता है। इसलिए इस ओर ध्यान दें और इसकी बिल्डिंग नई बनाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता ने जो दो-तीन बातें यहां रखीं, वे बिल्कुल जायज़ हैं। क्योंकि चुनावों से पहले 'रूसा' के बारे में कहा गया था कि इसको बन्द कर देंगे। हमारे पास भी विश्वविद्यालय के लोग आते हैं कि यह क्या हो रहा है, तो इस बारे में आपसे जनता स्पष्टीकरण मांग रही है कि 'रूसा' सिस्टम को बंद किया जा रहा है या नहीं? साथ में ट्रांसफर पॉलिसी की बात है क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा तबादले शिक्षा विभाग में ही होते हैं। इसके ऊपर भी यहां स्पष्टीकरण होना चाहिए कि ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है या नहीं? अगर ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है, तो कब आ रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

29/03/2018/1220/RG/DC/4

अध्यक्ष : अब श्री हर्षवर्धन चौहान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8, शिक्षा पर दिए गए कटौती प्रस्ताव पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जैसे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि शिक्षा विभाग में पिछले तीन महीनों से अनिश्चित्ता का माहौल है और माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा तरह-तरह के बयान दिए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग का काम-काज ठप्प पड़ा हुआ है। हम आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो टीचर्स के लिए ऐक्ट बना रहे हैं वह क्या है? प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई है और आप एक विशेष कैटागिरी के लिए अलग से कोई ऐक्ट नहीं बना सकते। आप तो वकील हैं। There cannot be two sets of Rule for Government Employees. या तो यदि आपने ऐक्ट बनाना है, तो हिमाचल प्रदेश के सब कर्मचारियों के लिए एक समान ऐक्ट बनाएं। उसमें जो भी आपने प्रावधान करना है, करें कि तीन साल तक एक जगह रहेंगे या अन्य कैटागिरी ऑफ एरियाज़ में रहेंगे। आपको यह एक समान करना पड़ेगा। आप दो तरह के कानून कर्मचारियों के लिए नहीं बना सकते। आप तो वकील हैं। इसलिए आप ये सब चीजें क्लीयर करें कि यह सब क्या है? यह बात आपकी ठीक है कि शिक्षा में सरकार के पास मास्टरों के ट्रांसफर का ही काम है, हम सब विधायकों का 80% ट्रांसफर का ही काम है।

29.03.2018/1225/जेके/डीसी/1

श्री हर्ष वर्धन चौहानः------जारी-------

ठीक है इन पर नकेल कसनी चाहिए कि ये काम करें, अपनी डियूटी दें और अच्छे रिजल्ट्स दें, जिसके लिए आपने प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। मगर यदि आपने कोई एक्ट बनाना है तो सभी कर्मचारियों के लिए एक समान बनाओ। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे रूसा के बारे में चर्चा हुई। रूसा आप लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में मैंने प्रश्न किया था और आपने कहा था कि अभी विचाराधीन है। किसी भी

प्रणाली को, किसी भी एजुकेशन सिस्टम को आप एक रात में चेंज नहीं कर पाओगे। आपके विज़न डॉक्युमैंट में है, आपके घोषणा-पत्र में है कि हमारी सरकार बनने के तुरन्त बाद रूसा को खत्म कर दिया जाएगा। आप करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपका विज़न डॉक्युमैंट कुछ कह रहा है और विधान सभा के अन्दर आप ज़वाब कुछ और दे रहे हैं । हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, वे जानना चाहते हैं कि सरकार का रूसा पर क्या स्टैंड है? आज हिन्दुस्तान के लगभग सभी राज्यों में रूसा को लागू किया गया है। ठीक है, कमियां हो सकती है। छिट-पुट कमियां हो सकती है। आप उनको सुधार करने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, सरकार बनी है और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर्ज़ धड़ाधड़ हो रही है। हज़ारों की तादाद में ट्रांसफर हो रहे हैं और स्कूल धड़ाधड़ खाली हो रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि अकेडेमिक सैशन जब खत्म होता है और जब नये सिरे से शुरू होता है तो आप उस वक्त ट्रांसफर करें? शिक्षा मंत्री जी, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो खाली हो गए हैं। मेरा एक प्राइमरी स्कूल सनौर है वहां पर कोई टीचर नहीं है। प्राइमरी स्कूल ज़ामना है वहां पर तीन टीचर्ज़ थे वे तीनों के तीनों ट्रांसफर कर दिए। आप ऐसा नहीं करो। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी में है कि सिंगल टीचर को रिलीव नहीं किया जाएगा लेकिन इसका उल्लंघन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्ज़ में इलैक्शन्ज़ को खत्म किया था। जब-जब भी इलैक्शन हिमाचल प्रदेश की युनिवर्सिटीज़ में, कालेजिज में हुए हैं,

29.03.2018/1225/जेके/डीसी/2

तनावपूर्ण माहौल हुआ है, लड़ाई-झगड़े का माहौल हुआ है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्ज़ में आप इलैक्शन न करें ताकि वहां का अकेडेमिक माहौल बना रहे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपके ए0बी0वी0पी0 के लोगों ने लॉ डिपार्टमैंट में हवन कर दिया। हैरानी की बात है हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमैंट में ए0बी0वी0पी0 के बच्चों ने हवन कर दिया। केम्पस के अन्दर, बिल्डिंग के अन्दर हवन कर दिया। किसी भी सरकारी या शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक गतिविधियां

नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो आप उन लोगों को खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? हम चाहेंगे कि युनिवर्सिटीज़ में तनाव न हो। मैंने उसकी खुद वीडियो देखी और अखबारों में भी आया। एक तरफ एस0एफ0आई0 के लोग खड़े हो करके नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ए0बी0वी0पी0 के लोग नारे लगा रहे। हम चाहेंगे कि ऐसी चीजें शिक्षण संस्थानों में न हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि एस0एम0सी0 को इन्होंने रैकग्निशन दे दी है। वैसे तो एस0एम0सी0 पॉलिसी पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी मगर हमारी सरकार ने इसमें एड करके बहुत सारे टीचर्ज़ को नियुक्त किया । आपने उनकी सैलरी बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के दूर-दराज़ के क्षेत्रों में एस0एम0सी0 के टीचर्ज़ बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी कह रहे थे कि एस0एम0सी0 के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या किसी भी सरकार के लिए दूर-दराज़ के क्षेत्रों में कर्मचारियों व टीचर्ज़ को भेजना है। वे नहीं जाते हैं। इसीलिए एस0एम0सी0 की पॉलिसी को लाया गया था। ट्रांसफर के लिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि हार्ड एरियाज़ में ट्रांसफर कर्मचारियों को बिना सबस्टिट्यूट रिलीव न किया जाए। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में एक नाम है और हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बड़े-बड़े राज्यों के ऊपर आंका जाता है जिसका श्रेय हम माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी को देंगे, जिन्होंने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज खोले।

29.03.2018/1230/SS-HK/1

श्री हर्ष वर्धन चौहान क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, बार-बार सरकार द्वारा बयान आ रहे हैं कि पूर्व में जो सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज खोले गए हम उनको बंद कर रहे हैं। ठीक है जो स्कूल नहीं चले हैं और नोटिफिकेशन है उसमें आप जो मर्जी कर सकते हो। मगर जो स्कूल-कॉलेजिज़ फंक्शनल हैं मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी आप कृपा करके उनको बंद न करें। मेरा रोहनाट में एक डिग्री कॉलेज है जोकि फंक्शनल है और दूर-दराज के क्षेत्र में है। अध्यक्ष महोदय, आपका

भी पुराना चुनाव क्षेत्र है ददाहू में कॉलेज खोल दिया गया है। ये बहुत बड़े एरिया को केटर करेंगे। आप कृपा करके इन फंक्शनल संस्थाओं को बंद न करें। जो पूर्व में डिनोटिफाई करने की परम्पराएं चली थीं उनको रिपीट न करें और इन शिक्षण संस्थाओं को चलाएं। हमारी पूर्व सरकार द्वारा मॉडल स्कूल खोले गए थे। हर विधान सभा क्षेत्र में दो-दो मॉडल स्कूल खोले जाने थे। आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो? आपने कहा कि आप रैजीडेंशियल एरियाज़ में रैजीडेंशियल स्कूल खोलेंगे। हर जिले और हर विधान सभा क्षेत्र में खोलेंगे। अब आप उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, स्कूलों की एनरोलमैंट घट रही है। --(व्यवधान)-- सर, मेरा प्लास्ट प्वाइंट है। स्कूलों की एनरोलमैंट गिर रही है। पिछले दस सालों में सरकारी स्कूलों में लगभग एक लाख से अधिक एनरोलमैंट गिरी है। आज हम सब का कर्तव्य बनता है कि इन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर किस तरह से बढ़े, यह सोचने का विषय है। अध्यापकों की कमी है। कई जगह बिल्डिंग्ज़ नहीं हैं। कई जगह साइंस की फैकल्टी नहीं है। कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है। हम चाहेंगे कि आप इन सरकारी स्कूलों को मजबूत करें। टीचर्ज़ को ट्रेनिंग दें और सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्कूल में खिचड़ी बनाने का काम है। टीचर को डाक का काम करना पड़ता है। इसलिए स्कूलों को रेशनलाईज करके एजुकेशन डिपार्टमैंट को और स्ट्रैंथन करें। अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के जवाब में चाहेंगे कि जो स्कूल चल रहे हैं और पिछले छः महीने या साल में खुले हैं उनके बारे में सरकार की क्या राय है?

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

29.03.2018/1230/SS-HK/2

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी, प्लीज़ पांच मिनट बोलें।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय,मैं इस मांग पर अपनी चंद बातें रखना चाहता हूं। पहली बात है कि अब हमने अपने संविधान में आर्टिकल-21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार में तबदील कर दिया है। जिसके लिए राईट टू एजुकेशन ऐक्ट हमारी पार्लियामैंट द्वारा 2009-10 में आया है। जिसके तहत अब यह अनिवार्य है कि राज्य सरकारों को शिक्षा प्रदान

करने के लिए अध्यापकों की भर्ती करनी होगी। आज हमारे स्कूलों में, जिन्हें सरकार रन करती है, अध्यापक नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार यह भर्ती करेगी। दूसरा, उसी ऐक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल की रेगुलेशन होनी चाहिए। लेकिन आज जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, चाहे उसकी फीस का प्रश्न है, चाहे उसके एलाउंसिज़ का प्रश्न है। आज हमारे प्राइवेट स्कूल 21300 से लेकर 21600 तक तीन महीने की फीस ले रहे हैं। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही नहीं इस शहर के अंदर एक ऐसा प्राइवेट स्कूल है जो दो-दो लाख रुपया फॉरेन टूअर के नाम पर इकट्ठा कर रहा है। उस पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। जिसके तहत बहुत से बच्चे जो दो लाख रुपया फॉरेन टूअर के लिए नहीं दे पा रहे हैं उनमें एलीनेशन (alienation) आ रही है और उस एलीनेशन की वजह से वे बच्चे ड्रग्ज़ की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इन बातों को लेकर गम्भीर हो और इन प्राइवेट स्कूलों को भी इस ऐक्ट के तहत लाकर उसकी फीस कंट्रोल करनी चाहिए। यही नहीं उस ऐक्ट में, जो राईट टू एजुकेशन ऐक्ट है, 25 फीसदी बच्चे जिनके मां-बाप फीस नहीं दे सकते, पूअरर सैक्शन्ज़ के हैं, उनकी भी भर्ती होनी चाहिए।

29.03.2018/1235/केएस/एचके/1

श्री राकेश सिंघा जारी----

लेकिन एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, स्कूल को नियंत्रण करने के लिए, चलाने के लिए सरकार की तो पूरी मदद ले लेंगे लेकिन इस क्लॉज़ को आज इम्प्लिमैंट नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जिस समय जवाब देंगें, इन पहलुओं को भी उसमें कवर करेंगें। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि रूसा पर पुनर्विचार करना है क्योंकि रूसा जिस रूप में है, आज पूरे देश के अंदर सिर्फ हिमाचल प्रदेश एक मात्र राज्य है जिसने इसको लागू किया है। बाकी सभी राज्यों ने उसके जो पहलू छात्रों के खिलाफ जाते हैं, शिक्षा के खिलाफ जाते हैं, उनको अमल नहीं किया है। इसलिए आज यह सस्पैंडिड एनिमेशन में है । हमने इसको जल्दी से लागू कर दिया है तो इस पर आप पुनर्विचार करें । इतनी बात कह कर मैं अपनी बात

समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन इस बात को दोहराते हुए कि ये जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कमर्शियल हो गए हैं। ये शिक्षा नहीं देना चाहते। ये सिर्फ पैसा ऐंठना चाहते हैं। इस पर मेहरबानी करके सरकार रोक लगाए। धन्यवाद।

29.03.2018/1235/केएस/एचके/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः8- शिक्षा पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शिक्षा का जितना प्रसार और विस्तार हुआ है, पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को कई बार प्रथम आने पर पुरस्कार भी मिला है और आज सबसे ज्यादा काम इसमें राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। मैं इनको बधाई देता हूं। आज इनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, 13 हजार की हाइट पर भी जो स्कूल खुला है, वहां का बच्चा भी आज साक्षर बनने में सक्षम हुआ है और पूरा हिमाचल प्रदेश ही आज शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें जो कमियां हैं, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपके पास सब कुछ बन कर तैयार है। उसमें अगर आप कोई कमी पाते हैं, तो उसको आप सुधारें। अभी यहां पर रूसा की बात हुई। माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने यहां पर कहा कि रूसा ठीक नहीं है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। RUSA is the best system of education. बहुत सारे राज्यों ने इसे अपनाया परन्तु इसके विरोध में कौन है? इसके विरोध में कुछ शिक्षकगण हैं, कुछ युवा संगठन हैं क्योंकि इसमें काम करना पड़ता है। इसमें अध्यापकों को पढ़ाना पड़ता है। उनको पूरा का पूरा समय इंस्टीट्यूट के अंदर रहना पड़ता है। बच्चे के बारे में असैसमैंट करनी पड़ती है कि उसने कितना पढ़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। आज हम कामचोर हो गए हैं। हम काम नहीं करना चाहते। वगैर सोचे-समझे यह कहा जा रहा है कि रूसा ठीक नहीं है। अभी यहां पर मेरे एक साथी पूछ रहे थे कि माननीय मंत्री जी रूसा के बारे में क्या

कहेंगें? आपने तो कह दिया, मुख्य मंत्री जी भी अभी दो दिन पहले ऊना गए थे, वहां पर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि रूसा तो चलेगा ही । जब आपने कहा दिया कि रूसा चलेगा तो अब इस पर क्या बहस करनी है? आप रूसा को बढ़िया तरीके से चलाओ। उसमें जो कमियां हैं, उनको ठीक कीजिए । परन्तु आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन हजारों हिमाचल प्रदेश के

29.03.2018/1235/केएस/एचके/3

नौजवानों से, कॉलेजों में जो बच्चे हैं, जिनको आपने गुमराह किया है कि हम रूसा हटाएंगें लेकिन वह नहीं हटने वाला है इसलिए आप उनसे माफी मांगिए और रूसा को तेज़ी से शुरू कीजिए। चुनाव के समय में आप कुछ और बात करते हैं और चुनाव के बाद पल्टी मार देते हैं इससे हमारे लोगों का, हमारे प्रदेश का कोई फायदा नहीं हो रहा है इसलिए यह जुम्लेबाज़ी आप बंद कीजिए। रूसा को तेजी से चलाइए। आज बोलने के लिए समय बहुत कम रखा गया है, बातें बहुत हैं जो मैं कहना चाहता था परन्तु एस.एम.सी. के बारे में जरूर कहूंगा। एक बात की प्रसन्नता उस दिन हुई जब बजट में आपने एस.एम.सी. का 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया और उसके लिए आपको बधाई देता हूं परन्तु यहां इस माननीय सदन के अंदर आपने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बाहर जो एस.एम.सी. वाले विधान सभा में आपसे मिलने आए उनसे बड़ी-बड़ी मालाएं गले में पहनकर आपने उन नौजवानों को ढग दिया। उनको भी आपने गुमराह किया है।

28.3.2018/1240/av/yk/1

श्री जगत सिंह नेगी-------- जारी

मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस0एम0सी0 क्यों करना पड़ा। वर्ष 1998 से 2003 तक जब आपकी पार्टी की सरकार थी तो आप हमारे जनजातीय क्षेत्रों के सारे-के-सारे अध्यपाक उठाकर नीचे के एरिया में ले गये और विद पोस्ट ले गये। हमारी पार्टी की सरकार जब दोबारा बनी और राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री बने तो हम सब इनके पास गये कि

हमारे यहां तो स्कूलों में ताले लगे हुए हैं, इसकी व्यवस्था कैसे की जायेगी। यह तो एक लम्बी प्रक्रिया है क्योंकि पहले टीचर के लिए लिखित परीक्षा होगी, इन्टरव्यू होगा या दूसरी औपचारिकताएं होंगी तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि कोई और तरीका निकाला जाए। पी0टी0ए0 में लगे टीचरों की योग्यता भी एक रेगुलर टीचर के बराबर थी। वर्ष 2007 से 2012 तक आपकी पार्टी की सरकार आई तो फिर आपकी सरकार द्वारा एक भी भर्ती नहीं की गई, आपने कोई नये अध्यापक नहीं लगाये। पहले के कुछ अध्यापक रिटायर हो गये और कुछ नये स्कूल खुलने की वजह से अध्यापकों के पद फिर रिक्त रह गये जिसके लिए एस0एम0सी0 लगानी पड़ी। एस0एम0सी0 एक बहुत बढ़िया पोलिसी है क्योंकि इसमें रोस्टर या रैज़र्वेशन की भी जरुरत नहीं है। इसमें उसी गांव/पंचायत क्षेत्र या सीनियर सेकेण्डरी स्कूल का जो पटवार सर्कल का एरिया होता है वहां से सम्बंधित प्रार्थी को अतिरिक्त दस नम्बर मिलते हैं। इसी कारण से ट्राइबल एरिया का लड़का ट्राइबल में पढ़ा रहा है। आपके एरिया का लड़का आपके एरिया में ही पढ़ा रहा है। इसमें न तो ट्रांसफर की जरुरत है और न ही किसी की सिफारिश की जरुरत है। इसलिए यह एक बहुत बढ़िया पोलिसी है और आप इसको आगे बढ़ाइए। आपने एस0एम0सी0 के तहत लगे अध्यापकों का मानदेय 20 प्रतिशत बढ़ाया है, आप इसको और ज्यादा बढ़ाइए, हम आपको फिर से मुबारकवाद देंगे। इसके लिए हम आपकी तारीफ करेंगे परंतु आप दो किस्म की बात मत कीजिए। आप अंदर कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। आपने रेजिडैंशियल स्कूल खोलने के लिए भी एक अच्छा प्रयास किया है मगर

28.3.2018/1240/av/yk/2

उसमें भी आप भेदभाव कर रहे हैं। आपने कहा कि जहां पर नवोदय स्कूल खुले हैं वहां पर आप रेजिडैंशियल स्कूल नहीं खोलेंगे। जहां पर नवोदय स्कूल खुला है वहां के लोगों के बच्चों का इसमें क्या कसूर है कि वहां पर रेजिडैंशियल स्कूल नहीं खुलेगा। आपने इसके लिए बजट की राशि भी कम रखी है, आपने रेजिडैंशियल स्कूल खोलने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि रखी है। यदि आप एक रेजिडैंशियल स्कूल छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक

चलायेंगे और उसमें अगर 250 से 300 बच्चे होस्टल में रखेंगे तो उसका रैकरिंग ऐक्सपैंडिचर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा। इसके अतिरिक्त उसके इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि चाहिए तब जाकर एक रेजिडैंशियल स्कूल बनता है। आप हमें कहां के 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' दिखा रहे हैं? आप गोमाता के लिए 17 करोड़ रुपये की राशि रख रहे हैं। उसमें दो रुपये प्रति बोतल के ऊपर 8 करोड़ रुपये, और तो और मंदिरों से भी गाय के लिए पैसा दिया जा रहा है तथा शिक्षा के लिए केवल 10 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, आप इसके बारे में विचार कीजिए। (---व्यवधान---) बिल्कुल, मैंने आपकी दुःखती रग पर हाथ लगाना है। इसके अतिरिक्त यहां पर जो स्थानांतरण की बात हुई है, आपने अध्यापकों के इतने ज्यादा स्थानांतरण कर दिए जैसे यहां पर पहले भी कहा गया कि सन्डे को कर दिए। आप डायरैक्टोरेट ऑफ ऐजुकेशनल ट्रांसफर्स नाम का एक नया निदेशालय खोल लीजिए और एक डायरैक्टर इसी काम के लिए रख लीजिए ताकि दूसरा डायरैक्टर कम-से-कम शिक्षा के ऊपर तो ध्यान दें। आप एक अलग डायरैक्टोरेट ऑफ ऐजुकेशनल ट्रांसफर्स और एक शिक्षा मंत्री (ट्रांसफर्स) बना दीजिए। आज स्कूलों में अध्यापक नहीं मिलते। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। स्कूलों में अध्यापक गैर हाजिर रहते हैं और उसके लिए हमने जिला किन्नौर में सबसे पहले स्कूलों में बायोमीट्रिक मशीन शुरू की है। वहां पर टीचर लोग मेरे खिलाफ हुए परंतु

28.3.2018/1240/av/yk/3

बायोमीट्रिक लगाने से वहां के स्कूलों में बहुत फायदा हुआ। उसको देखते हुए पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी प्रदेश के सभी स्कूलों में बायोमीट्रिक मशीनें लगाने का बजट में प्रावधान किया था। आप उसको आगे बढ़ाइए ताकि हमारे अध्यापक स्कूल में समय पर पहुंचे और स्कूल में रहे मगर उसमें दो बार की बजाय तीन बार हाजिरी लगाने

का प्रावधान होना चाहिए। उसमें सुबह, दोपहर और शाम; तीन बार हाजिरी लगाने का प्रावधान किया जाए क्योंकि अध्यापक लोग सुबह हाजिरी लगाकर शाम को दोबारा हाजिरी लगाने आते हैं। आप दोपहर में भी हाजिरी लगाना शुरू कीजिए और इसके अतिरिक्त आप स्कूलों में सी0सी0टी0वी0 लगाइए। आज बोलने के लिए कम समय दिया गया है। पता नहीं क्यों, हमने भी गिलोटिन लगाने के बारे में पहले मान लिया। हमें वैसे शिक्षा के ऊपर शाम तक चर्चा करनी चाहिए थी। चलो, आगे भी मौके आयेंगे, हम आपको और समय देते हैं। मैं यहां पर आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि शिक्षा विभाग के भी अपने कई स्पोर्ट्स होस्टल हैं। मगर उन स्पोर्ट्स होस्टल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप मतियाना की तरफ जाते हैं वहां सड़क के साथ शिक्षा विभाग का एक स्पोर्ट्स होस्टल है। उस होस्टल की हालत बिल्कुल एक यतीमखाने की तरह है। उनके मैस के अन्दर कीड़े चले रहते हैं, बच्चों के कपड़े ठीक नहीं है और खेलने के लिए उनके पास इक्विपमैंट नहीं है, आप इस बारे में अवश्य ध्यान देंगे।

29.03.2018/1245/TCV/YK-1

श्री जगत सिंह नेगी.... जारी

मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे जिला किन्नौर में ट्रांसफरों की मार सबसे अधिक पड़ी है। वहां पर ज्यादातर स्कूलों में मैथ्स/फिजिक्स/कैमिस्ट्री के टीचर ट्रांसफर हो गये हैं और स्थिति यह है कि स्कूलों में ताले लगतने वाले हैं। छोटा खम्बा-बड़ा खम्बा एक ऐसा दूर-दराज का इलाका है, जहां पर मैथ्स के टीचर न तो सीनियर सेकैंडरी स्कूलों में हैं और न ही हाई स्कूल में है। इसलिए कृपया आप इस ओर ध्यान दें। ताकि इन दूर-दराज़ के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको राहत मिल सकें। धन्यवाद।

29.03.2018/1245/TCV/YK-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य को गऊ से काफी परेशानी है। वे हर बार अपने भाषण में इस बात को कहते हैं। क्योंकि गऊ अपने आप को यहां डिफेंड नहीं कर सकती है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि पिछले कुछ अर्से से ये ठण्डे इलाके के आदमी इतने गर्म क्यों है? मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। आप सुझाव अवश्य दीजिए, लेकिन हर बात पर आप गाय का विरोध कर रहे हैं, जिससे हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं, हमारी श्रद्धा जुड़ी हैं। आप बोलिए कि और जगह के लिए भी बजट का प्रावधान कीजिए, हम करेंगे। हमने स्कूल में आर्दश विद्या केन्द्र का कंसैप्ट दिया है, जो एक नया कांसैप्ट है। हमने उसमें जो बजट दिया है, उससे हमने उस दिशा में एक कदम उठाया है। ---(व्यवधान)--- आजकल आप (श्री जगत सिंह नेगी) कुछ परेशान लग रहे हैं। ये परेशानी बहुत लोगों की बढ़ गई है। सिर्फ थोड़ा सा सफर इधर से उधर का हुआ है (पक्ष-से-विपक्ष तक)। इस थोड़े से सफ़र में ही आप हांफ गये। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, जो नई योजना है, उसका कंसैप्ट हमने बड़ा क्लीयर कर दिया है। उसके अंतर्गत हमारा एक प्रयास है। हमने अंधाधुंध स्कूल खोलने के वज़ाय, छात्र-छात्राओं के लिए होस्टल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी सराहना करनी चाहिए। हम आने वाले समय में और बजट का प्रावधान करेंगे और ज्यादा स्कूल खोलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। हमें जब इसमें सफलता मिलेगी तो इसमें बजट प्रावधान और करने की जितनी भी गुंजाईश होगी, वह भी हम करेंगे। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जब आप गाय के बारे में बोलते हैं, तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत होती है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

29.03.2018/1245/TCV/YK-3

श्री वीरभद्र सिंहः मैं माननीय मुख्य मंत्री और उनकी पार्टी को आश्वास्त करना चाहता हूं कि गाय की सेवा हो, उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो और उनका समर्थन हो, हम भी उनके हक में हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ही हिमाचल प्रदेश में पहली दफ़ा गौवंश संवर्धन बोर्ड कायम किया और

29-03-2018/1250/NS/AG/1

श्री वीरभद्र सिंह -----जारी

इसने काम करना शुरू किया है। अब इसको ओर ज्यादा फैलाने की जरूरत है। इसलिए आप यह मत कहिए कि आप ही सिर्फ़ गौ रक्षक हैं और गौ के सेवक हैं। हम भी आपकी तरह गौ रक्षक और गौ सेवक हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय जगत सिंह नेगी जी ने पूर्व मुख्य मंत्री जी और अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उसको सुना होगा। मैंने यह नहीं कहा कि हम ही गौ रक्षक और गौ सेवक हैं। आपने भी अपनी ओर से प्रयास किये हैं। इस बात को ले करके मतभेद हैं कि जानबूझ करके गौ माता को मंदिर से पैसा क्यों दिया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से ध्यान में है कि जहां से संसाधन जुटाये जा सकते हैं, आपने प्रयत्न किये हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से हमारे गौवंश की संख्या चौक-चौराहे, सड़कों पर घूमते हुए और खेतों में जाते हुए दिख रही है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें और ज्यादा बज़ट प्रावधान करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में कहां से बज़ट प्रावधान किया जाये? इसके लिए हमने रास्ता ढूंढा है और इस रास्ते पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

29-03-2018/1250/NS/AG/2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, "मांग संख्याः 8- शिक्षा" पर चर्चा के प्रस्ताव पर भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो शिक्षा के नाम पर रोने लग जाते हैं। आपको रोने की आदत को सुधारना पड़ेगा। आप हमेशा बोलते हैं कि इतने स्कूल और कॉलेज खोल दिये हैं? मैं कहना चाहता हूं कि हममें समझ थी, हममें ताकत थी और हमने स्कूल और कॉलेज खोले है। इनके लिए इन्फ्रास्र्टक्चर उपलब्ध करवाने में समय लगता है। लेकिन हमने सभी शिक्षण संस्थानों की नोटिफिकेशन की है, फंक्शनल करवाये हैं और उनमें क्लासिज़ बिठाई हैं। यह हमारा शिक्षा नीति के प्रति दृढ़ संकल्प था। इसी दृढ़ संकल्प के कारण आज हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे हिन्दुस्तान में एक या दो राज्यों को छोड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में बना हुआ है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हर जगह प्राईवेट शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं। हर गांव में दो किलोमीटर के बाद शिक्षा संस्थान खुल जाता है। माता-पिता ये सोचते हैं कि जिस स्कूल में टाई होगी, सेम बोर्ड है यानि हिमाचल प्रेदश स्कूल शिक्षा बोर्ड है और सेम प्राईवेट स्कूल एक किलोमीटर की विसिनिटी में खुल जाता है। उन स्कूलों में बच्चों की एडमिशन होती है। पढ़ाई सेम है। प्राईवेट इन्स्टीच्यूशन्ज़ में अनक्वालिफाईड टीचर्ज़ लगे हुए हैं। इनमें कोई क्वालिफाईड टीचर्ज़ नहीं होते हैं। कोई टेट पास टीचर्ज़ नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी वे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और इन स्कूलों का क्रेज़ पेरैंट्स में ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां भी प्राईवेट स्कूल खुलता है, इसकी ठोस नीति बनाई जाये। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ को रेग्युलराइज़ करने के लिए H.P. Private Universities Regulation Act. लाया गया था। उसी तरह स्कूल शिक्षा संस्थानों के लिए भी एक्ट बनाया जाना चाहिए। इसके लिए माननीय सदस्य सिंघा जी ने भी कहा है कि हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन-सा प्राईमरी स्कूल कितने बीघे में खुलेगा, कितने टीचर्ज़ होंगे और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? इस प्रकार का रेग्युलेटरी कमीश्न बना करके इसको रेग्युलेट किया जाये। यह मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा। इसके अलावा जो पिछले 5 या 10 सालों से पैट, पी0टी0ए0 और एस0एम0सी0 लगें हैं, उनके लिए एक नीति बनाई जाये। उस नीति के तहत इनको रेग्युलराईज किया जाये। दस साल से आप उनका स्केल बढ़ा देते हैं कि आज हमने पैट के लिए चार या पांच हजार रुपये बढ़ा दिये हैं। कई पैट के टीचर्ज़ को लगे हुए 15-15 साल हो

गये हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि जो एक नीति के तहत आते हैं और जो सरकार की नीति है कि हम 4 या 5 साल में रेग्युलराईज करेंगे, उस पर विचार-विमर्श करके इनको रेग्युलराईज करने का प्रावधान किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कन्सैप्ट आया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको क्लैरिफाई भी किया है।

29.03.2018/1255/RKS/AG-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु...जारी

रेजिडैंशियल स्कूल का कंसैप्ट है। यह एक अच्छी सोच है और हम उस सोच की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो 10 रैजिडैंशियल स्कूल खुलेंगे, क्या वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज में खुलेंगे या तहसील हैडक्वार्टर्ज में? कितने बीघा ज़मीन में आप रैजिडैंशियल स्कूल खोलेंगे? क्या उसका कैडर अलग होगा? कितने बच्चों के लिए यह रैजिडैंशियल स्कूल खुलेगा? यह नीति कृपया आप स्पष्ट कर दें। जब आप विपक्ष में थे तो आप 'रूसा' को बंद करने की बात करते थे। आज आप कह रहे हैं कि 'रूसा' बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। क्या इसमें 5th के बाद प्लस टू तक पढ़ाई होगी? क्या इसमें 1st से लेकर प्लस टू तक पढ़ाई होगी? कितने बीघा ज़मीन होगी, क्या-क्या उसमें सुविधाएं होगी, यह स्पष्ट नीति विधान सभा के सदन पर आनी चाहिए थी। ये रैजिडैंशियल स्कूल, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज, तहसील हैडक्वार्टर्ज या ब्लॉक लैवल में खोले जाएंगे, इस बारे में हमें पता लगना चाहिए था । ये स्कूल कितने बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए खोले जा रहे हैं और इसकी एडमिशन का क्या प्रोसैस होगा? ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज कल एक चर्चा है कि शिक्षा विभाग में हर रोज हजारों तबादलें हो रहे हैं। चाहे वह स्कूल के हों या कॉलेज लैवल के हों। यहां पर भी विधायक माननीय

मुख्य मंत्री जी को चैन से नहीं बैठने देते और साथ बैठ कर तबादले करवा रहे हैं। एक के बाद एक लाइन लगी हुई है।

अध्यक्षः भाई सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी की भी इधर बैठने की इच्छा है।

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक दल के नेता ने बार-बार कहा कि हजारों ट्रांसफर्ज कर दी गई। श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा है कि ट्रांसफरों का उत्पीड़न हो रहा है। (...व्यवधान...) विधायक एक-एक ट्रांसफर करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि किस अध्यापक को कहां लगाना है। स्कूल खाली हो रहे हैं। (...व्यवधान...) यह जो आप नीति ला रहे हैं, जिस दिन यह पावर

29.03.2018/1255/RKS/AG-2

नहीं रहेगी तो साथ बैठने वाली कुर्सी भी खाली रहेगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हैं, क्या वह ट्रांसफर पोलिसी एक्ट के रूप में आ रही है या वह पोलिसीज के रूप में आ रही है? क्या आप ट्रांसफर पॉलिसी का एक्ट बनाने जा रहे हैं? जिस प्रकार अखबार में न्यूज़ आई थी कि कैटेगरी-1, कैटेगरी-2, कैटेगरी-3, कैटेगरी-4 और कैटेगरी-5, क्या यह कैटेगरी पोलिसिज के रूप में आ रही है या एक्ट के रूप में आ रही है? यदि एक्ट के रूप में आ रही है तो कब तक इसे विधान सभा में लेकर आ रहे हैं? ये कुछ एक मुद्दे हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा था। जब आप जवाब देंगे तो इन मुद्दों को ध्यान में रखकर जवाब देंगे। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनोवकाश के लिए दोपहर 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

29.03.2018/1405/बी0एस0/डी0सी0-1

(माननीय सदन की बैठक अपराह्न 2.05 बजे पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्षः मांग संख्या-8 पर बोलने वाले अब अंतिम माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे, कृपया 7 मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री नन्द लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 पर जो कटौती प्रस्ताव आया है, उस पर मैं बोलने के लिए अपने आप को शामिल करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग एक अहम विभाग है। आज हमारा प्रदेश देश की अच्छी literacy rate वाले प्रदेशों में गिना जाता है, कभी हम नम्बर-1 होते हैं कभी केरल होता है कभी नम्बर- 2 होते हैं, इस तरह की स्थिति में आज हमारे प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचाया गया है । इसका श्रेय लेने वाली बात नहीं है परंतु हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि पिछली जो सरकार थी, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में और शिक्षा विभाग इनका अपना विभाग रहा है, भरपूर कोशिश की गई, भरपूर कार्य किया गया और शिक्षा का स्तर ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। सरकार की जो नीति थी like different scholarship schemes, stipend schemes और बाकी जो दूसरी स्कीमज थी उनमें उसको अच्छा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, हम इनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। बदलियों का जो इशू शिक्षा विभाग है, वह enrollment number का है कि किस तरह सब बच्चे स्कूलों में जाएं। इसके बाद dropout rate उसको कैसे सुधारा जाए। इसके बाद girls and boys literacy rate का जो variation है वह भी एक गम्भीर समस्या है उसके बाद retention rate. इन सब से ऊपर जो बात आदरणीय सिंघा साहब ने कही है Right to Education. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर आदमी को पढ़ने का अधिकार है, उसे स्कूल जाना होगा, उस सोच के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्री जी ने गांव-गांव में स्कूल खोले, उससे शिक्षा में सुधार हुआ और जो चारों फैक्टर्स थे इन चारों में अच्छा कार्य हुआ। हमारे जो सत्ता पक्ष के मित्र हैं उनका यह भी कहना है कि उसमें इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इनफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में होगा पहले लोगों की मांग

29.03.2018/1405/बी0एस0/डी0सी0-2

आए, उस पर विचार हो नोटिफिकेशन हो, उसके बाद फिर इनफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी होगी। इस तरह से काम शुरू होता है। हम तो यह कहना चाहेंगे कि जिस तरह से स्कूल और कालेजिज इस प्रदेश में बने उससे शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। हम लोग खूब कोशिश शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। ट्रांस्फर पोलिसी की बात आई, जैसा सुबह माननीय अग्निहोत्री जी ने बड़े विस्तार से कहा कि अध्यापकों की कितनी सारी युनियनस काम कर रही हैं। हमको यह देखना है कि ट्रांस्फर पोलिसी को पारदर्शी तो बनाना है, यह आपने बजट बुक में लिखा है। लेकिन यह शिक्षा नहीं बल्कि क्वेलिटी एजुकेशन की बात है । हम यह कहना चाहते हैं कि आप ट्रांस्फर पोलिसी के लिए क्या स्टैप्स ले रहे हैं, मेरा माननीय मंत्री जी आग्रह रहेगा कि इस पूरी डिटेल में बताएं कि आपकी पोलिसी के अन्दर क्या- क्या चीजें शामिल की जाएगीं।

मैं मिड डे मील के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं।

29.3.2018/1410/DT/DC-1
श्री नन्द लाल...जारी

मिड-डे-मील स्कीम को यू.पी.ए. सरकार ने चालू किया था। यह बहुत अच्छी स्कीम है। जिसमें आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है। हमारा यह मानना है कि अगर वह हाई स्कूल है तो वहां पर आठवीं तक की कक्षा के बच्चों को ही खाना मिलता है। इसके अलावा दो कक्षाएं नौंवीं और दसवीं रह जाती है। उनके साथ यह भेदभाव वाली बात है। In the same school and in the same premises till 8th class students are getting Mid Day Meal in school and class 9th and 10th are deprived of this facility. मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर भी विचार किया जाए। क्योंकि यह केंद्रीय सरकार की स्कीम है और इसे केंद्र सरकार के साथ टेक अप करें या हिमाचल प्रदेश सरकार स्वयं इसे करें। इसी तरह से जो महात्मा गांधी वर्दी योजना है इसमें

भी थोड़ी वैरियेशन है। दसवीं कक्षा के बच्चों को बनी बनाई बर्दी मिलेगी और उसके ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को 200 रुपये सिलाई का मिलेगा। हम तो यह कहते हैं कि सब बच्चों को सीली-सिलाई वर्दी मिले ताकि यह वैरियेशन न रहे कि उसे 200 रुपये सिलाई के देने हैं, मेरा यह एक सुझाव है। इसी तरह से जो डिग्री कॉलेजिज की बात है हमारे यहां पर 137 डिग्री कॉलेज हैं। जो पूर्व सरकार ने 11 कॉलेज खोले हैं उसमें एक ज्यूरी का कॉलेज भी है। डिग्री कॉलेज ज्यूरी में उस वक्त इग्जाम चल रहे थे जिसके कारण वहां से माइग्रेशन नहीं कर पाए। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि ये जितने भी कॉलेज खुले हैं ये need based हैं। यह लोगों की रिक्वायरमेंट पर खोले गए हैं और इसे इश्यू न बनाया जाए। ये रिक्वायरमैंट बेस्ड है और इसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल की जरूरत होती है। सारे मंत्री लोग/सरकार इस बात का फैसला लेते हैं। ये जितने भी 11 नये कॉलेज खुले हैं सरकार इस पर विचार करें। इनका जो बिल्डिंग बनाने का काम है इस बजट में पैसे का प्रावधान किया जाए ताकि ये सारे कॉलेज चलने के कगार पर हो।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप करें।

3.2018/1410/DT/DC-2

श्री नन्द लालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 2-3 बातें और कहूंगा। हम जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। इसमें जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उसे स्ट्रैंथन करने की जरूरत है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो टीचर की टाइमली वर्कशॉप्स लगनी चाहिए, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वे स्कूल में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। दूसरा, एक बहुत बड़ा इश्यू है जो प्राइवेट स्कूल की मॉनोपली है, चाहे वह फीस की बात है या अन्य कोई बात हो। जो प्राइवेट स्कूल में टीचर लगते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है। उन्हें 2-3 हजार तनख्वाह पर रखा जाता है। उनके साथ यह अन्याय हो रहा है। इसी तरह जो अभिभावक है, उन्हें स्कूल में इतनी भारी रकम देनी पड़ती है फिर

भी लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस पर विचार करने और नीति बनाने की आवश्यकता है। फीस स्ट्रक्चर्ज कैसा हो।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें। क्योंकि 2.30 बज़े गिलोटिन लगना है और माननीय मंत्री जी ने भी जवाब देना है। माननीय मंत्री जी के पास जवाब देने के लिए सिर्फ 14 मिनट शेष हैं।

श्री नन्द लालः गुणवत्ता शिक्षा के लिए यह हमारे सुझाव थे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इन सुझावों पर ध्यान दें। जो संस्थान खुले हैं वे चालू रहने चाहिए। इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्ज, टीचर की आवश्यकता है उसे पूरा किया जाए। दूर-दराज के स्कूलों में जैसे काशापाट का स्कूल है, वहां प्रिंसिपल नहीं है। ऐसे दूर-दराज के स्कूल जहां लोग पहुंचते नहीं है वहां प्रिंसिपल, साइंस टीचर, मैथ टीचर और इंग्लिश टीचर का इंतजाम किया जाए। जो जरूरी कम्पोनैंट्स हैं उन्हें भरा जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री जी मांग संख्याः 8- शिक्षा के ऊपर हुई चर्चा का जवाब देंगे।

29.03.2018/1415/SLS-YK-1

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 पर हमारे बहुत से मित्रों ने कटौती प्रस्ताव दिए थे। यह मांग इनकी प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पर थी परंतु किन्हीं कारणों से यह अंत में आ गई, जिस कारण सभी लोग इस पर बोल नहीं पाए। लेकिन माननीय कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी सहित जितने भी माननीय सदस्यों ने इस मांग पर हुई चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस संक्षिप्त-सी चर्चा में बहुत बहुमूल्य सुझाव आए हैं। साथ-ही-साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता द्वारा चेतावनी भी दी गई है। मैं सुझावों और चेतावनी,

दोनों का ही स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में विपक्ष अगर निंदा नहीं करेगा, चेतावनी नहीं देगा तो फिर शायद हममें स्लैकनैस आ जाती है और काम प्रौपरली हो नहीं पाता है। मैं समझता हूं कि शायद हमसे यह कमी रह गई हो कि हम आपको समय रहते हुए ठीक प्रकार से चेतावनी नहीं दे सके। अगर ठीक से चेतावनी दे देते तो आप प्रदेश में इस प्रकार से काम न करते जिसके कारण आपको वहां जाना पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ट्रांसफर्ज़ का उठा है क्योंकि बाकी यहां जितनी भी चर्चा हुई है वह, पिछले 5 वर्षों में जो सरकार रही है, उसके समय की है और उसका ही लेखा-जोखा सदन में दिया जाएगा। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्य रूप से बहुत चेतावनी भरे स्वर में कह रहे थे कि ट्रांसफर एक्ट होगा, पॉलिसी होगी, रूल्ज होंगे, और क्या-क्या हो जाएगा, अख़बारों में बड़ी ख़बरें आ रही हैं, कई वक्तव्य आ रहे हैं, कोई विरोध के स्वर उठ रहे हैं, बहुत सारी टीचर्ज़ एसोशियेशन्ज और यूनियन्ज इसके बारे में चर्चा कर रही हैं, आदि बातें इन्होंने उठाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह विभाग मुझे सौंपा था तो मुझसे जब पूछा गया कि यह विभाग आपने क्यों लिया, मैंने उस वक्त कहा था कि मैंने यह विभाग क्यों लिया यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम होगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगर मुझे शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा है

29.03.2018/1415/SLS-YK-2

तो मैं एजुकेशन मीनिस्टर ही बनना चाहूंगा, ट्रांसफर मीनिस्टर नहीं बनना चाहूंगा। अब उस वक्तव्य पर बहुत सारी टिप्पणियां प्रारंभ हो गईं। बहुत सारे लोगों ने और अख़बार वालों ने भी पूछना प्रारंभ किया कि आप क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, हमने सारे प्रदेशों में अपनाई जा रही ट्रांसफर प्रणाली का अध्ययन किया। हमारा एक सैंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड है जिसकी सरकार बनते ही जनवरी में दिल्ली में 2 दिन की बैठक हुई थी। वहां पर सारे प्रदेशों के शिक्षा मंत्री आए थे। विभिन्न राज्यों में शिक्षा की दृष्टि से क्या-

क्या प्रयोग हो रहे हैं और वहां ट्रांसफर्ज़ के बारे में क्या-क्या पद्धतियां अपनाई जाती हैं, उनके विषय में भी उस बैठक में बहुत सारी चर्चाएं हुई और हमारी वन-टू-वन बातचीत भी हुई। उस चर्चा से ज्ञात हुआ कि कर्नाटक ने ट्रांसफर्ज़ के ऊपर एक्ट बना रखा है। मध्य प्रदेश या हरियाणा जैसे बहुत से राज्यों ने नीति बना रखी है। अनेकों प्रदेशों में, ट्रांसफर्ज़ का किस प्रकार से संचालन होगा, वहां अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार, 1980 से पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस वक्त शिक्षा नीति बनाने के लिए हमारे उस वक्त के घुमारवीं के विधायक नारायण सिंह स्वामी जी की अध्यक्षता में ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 'स्वामी कमेटी' के नाम से जानी जाने वाली कमेटी बनी थी और स्थानांतरण पर उन्होंने ही सबसे पहले पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद उस पॉलिसी में अनेकों बार अमैंडमैंट्स होती रही हैं। उसमें कुछ चीजें एड तो कुछ कम होती रही हैं। उस समय केवल हाईकोर्ट होता था और हाईकोर्ट में ही इक्का-दुक्का केस जाता था। मैलाफाइडीज के ऊपर अगर ट्रांसफर हुई हो तो हाईकोर्ट उसके ऊपर ही केवल मात्र में संज्ञान लेता थे,

29/03/2018/1420/RG/HK/1
शिक्षा मंत्री-------जारी

लेकिन उसके बाद ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल बन गया। ट्रिब्युनल में अधिकांश ट्रांसफर के मामले जाने शुरू हो गए और आज तो स्थिति यह हो गई है कि किसी भी मामले में ऑर्डर होता है, तो ट्रिब्युनल से ऑर्डर मिलता है कि इस जगह पर हमारा फलाना आदमी लगा दिया जाए। इस तरह के आज ऑर्डर्ज आ रहे हैं। इस प्रकार जैसे-जैसे ऐक्सपेन्शन होती है और समय बदलता है, तो बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं और उसके अनुसार यह बदलता रहा। इसलिए मैंने जो कहा है कि हम इस पर ऐक्ट भी बना सकते हैं, नीति में तरमीम भी कर सकते हैं और हम इसके लिए ऑर्डर्ज भी बना सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि विरोध के स्वर अध्यापकों की ओर से आ रहे हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अभी तक जब जमीन पर कुछ नहीं आया है, तो विरोध किसी अध्यापक की तरफ से नहीं है

बल्कि हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांसफर माफिया काम करता है, उस माफिया की तरफ से यह विरोध हो रहा है और उस ट्रांसफर माफिया को खत्म करने के लिए अगर हम कोई पग उठाते हैं, तो उसका स्वागत सबको करना चाहिए और मैं ऐसा समझता हूं कि इनको भी उसका लाभ होगा। अभी तक हमने कोई नीति नहीं बनाई या कोई ऐक्ट नहीं बनाया। जब बनेगा तब उसको विरोध भी होगा क्योंकि उसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी और कुछ बुरी भी होंगी। उस पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में हमने इसमें कुछ नहीं किया है। जो पुरानी नीति चल रही है उसी के आधार पर काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि माननीय कांग्रेस विधायक दल के नेता और माननीय सदस्यों की ये सारी धारणाएं निराधार हैं कि हम इसमें कुछ कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करने के लिए प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, तो अच्छा है। अगर हम आपको फिगर्ज देंगे, तो हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 12,500/-अध्यापक हैं जो म्युचुअल या अन्य तन्त्रों के द्वारा घूम रहे हैं और बाकी जो ये 90,000/- कह रहे हैं उन बेचारों को तो मालूम भी नहीं होता है, वे तो एक बार जिसने ट्रांसफर कर दिया, चले गए, तो चले गए। तो उस माफिया को खत्म करना हमारा उद्देश्य है। इसी दृष्टि से हमने यह बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कुछ विषय रखे हैं। इन्होंने टोडरमल कहा, तो मैंने तो शिक्षा में आज तक कभी टोडरमल नहीं सुना। टोडरमल अक़बर का एक नवरतन था और वह भूमि सुधार के लिए जाना जाता है।

29/03/2018/1420/RG/HK/2

अब इन्होंने टोडरमल की उपाधि मुझे दे दी है, लेकिन मैं तो अपने आपको इतना बड़ा आदमी नहीं मानता हूं जितना श्री मुकेश अग्निहोत्री जी मुझे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन जो इतिहास में हमने पढ़ा है, टोडरमल एक बहुत बड़ा भूमि व्यवस्था का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था और वह राजस्व का ज्ञाता था। मैंने तो अभी टोडरमल वाला काम नहीं किया। शायद ये कुछ और बोलना चाहते हों, लेकिन ये बोल नहीं पाए। मगर ये बोलें, मैं उसका भी स्वागत करुंगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां बहुत सारी बातें की हैं कि अधिकारी लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, तो मेरी तो किसी भी अधिकारी से ट्रांसफर के बारे में चर्चा भी नहीं हुई। अब कोई अधिकारी इनके बहुत चहेते होंगे और वे कुछ बोलते होंगे। क्योंकि ऐसा होता है। यहां कई बार अभी भी हम देखते हैं कि ट्रांसफर का ऑर्डर टाईप होता भी नहीं है और उससे पहले ही संबंधित व्यक्ति को पता चल जाता है कि तेरी ट्रांसफर की प्रपोज़ल बन रही है। तो ऐसी स्थिति प्रशासन में है। अब जो आपने हमें दिया है, हमें उसीको लेकर आगे बढ़ना है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 'रूसा' के बारे में चर्चा की है। तो 'रूसा' के बारे में हमारा स्पष्ट कहना हैकि 'रूसा' कोई पद्धति नहीं है। जैसे एस.एस.ए. सर्व शिक्षा अभियान है, आर.एम.एस.ए. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, उसी तरह से उच्चतर शिक्षा के लिए 'रूसा' राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है और इसका संक्षिप्त नाम 'रूसा' है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो 'रूसा' के अन्तर्गत ही आती हैं। हां, उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन जिस ढंग से की गई, वह गलत हुई। क्योंकि हमारे कॉलेजिज में जहां टीचर्स हैं वहां सबजैक्ट नहीं था, जहां सब्जैक्ट था, वहां टीचर नहीं थे। फिर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि साइंस का सबजैक्ट है, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ एक माइनर सबजैक्ट आर्ट्स का पढ़ेंगे जैसे राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल या दर्शनशास्त्र और साथ-ही-साथ ऐसे ही आर्ट्स के साथ एक साइंस का सबजैक्ट पढ़ना है।

29.03.2018/1425/जेके/वाईके/1

शिक्ष मंत्रीः------जारी--------

अब एक कॉलेज में साइंस स्ट्रीम नहीं है। अगर वहां पर आर्ट्स का व्यक्ति है उसको माइनर सब्जैक्ट लेने के लिए किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। परीक्षा पद्धति में यूनिवर्सिटी के बारे में जो यहां पर कहा गया, यूनिवर्सिटी ने अपने ऊपर रूसा का यह जो इग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, वह लिया ही नहीं है। यह सिर्फ कॉलेजिज़ में है। यूनिवर्सिटी में तो समैस्टर सिस्टम 1971 से चला रहा है। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ पैसा लिया है बाकी युनिवर्सिटी ने कोई भी इस सिस्टम की पद्धति नहीं अपनाई है। केवलमात्र कॉलेजिज़ में यह सिस्टम चल रहा

है। हमारा जो विज़न डॉक्युमैंट है, उसमें हमने कहीं हवाला नहीं दिया है कि हम रूसा को खत्म करेंगे। मैं यहां पर विज़न डॉक्युमैंट लाया हूं। विज़न डॉक्युमैंट में हमने लिखा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा शुरू रूसा के अन्तर्गत Choice Based Credit System एवं समैस्टर शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर पुनः वार्षिक प्रणाली लागू की जाएगी। हमारे विज़न डॉक्युमैंट में सिर्फ यह लिखा है। (व्यवधान) तो यह दो महीने में हो जाएगा? आप लोगों के पांच साल के काले कारनामें दो महीनें में तो नहीं धो देंगे। (व्यवधान) यह हमारा ऐलान है। इसके अन्तर्गत जो इसमें सिस्टम को सुधारना है वह नया अकैडेमिक सैशन कॉलेजिज़ का होगा, उससे पूर्व इसके लिए व्यवस्था बना करके सबसे चर्चा करके विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इनके लिए यदि कमेटी की आवश्यकता होगी तो हम एक्सपर्ट कमेटी भी बना करके तय करेंगे कि जो हमने विज़न डॉक्युमैंट में कहा है किस प्रकार से उसका अक्षरक्षः पालन होगा। जहां तक रूसा का सवाल है, मैं श्री जगत सिंह नेगी जी से पूरी तरह से सहमत हूं। इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जो अच्छी चीज है उसको हम क्यों नकारेंगे? जिसकी इरिटेशन सारे स्टुडैंट्स को है, टीचर्ज़ को है और बाकी लोगों को है, हम केवलमात्र उस सिस्टम को सुधारेंगे। समैस्टर सिस्टम जो यहां पर लागू है, यहां पर विंटर वेकेशन्ज़ भी होती है, समर वेकेशन्ज़ भी होती है ।बहुत सारे लोगों को खेलने के लिए समय नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा करिकुलम

29.03.2018/1425/जेके/वाईके/2

एक्टिविटीज़ के लिए समय नहीं मिलता । इसलिए वह इग्ज़ामिनेशन सिस्टम एन्वल हो या समैस्टर हो या बहुत सारे स्थानों पर ट्राई समैस्टर भी है। वहां पर तीन महीनें में ही इग्ज़ाम होते रहते हैं। इस दृष्टि से हम इस पर विचार करेंगे। मैं बिल्कुल खुले मन से, केवलमात्र हमको डिसिज़न नहीं करना है। चाहे वह ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर भी हम हरेक स्टेक होल्डर से भी, इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्ज़, इन्क्लुडिंग एम0एल0एज़0, सबके साथ चर्चा इसकी करूंगा। (व्यवधान) जब हम कानून लाएंगें। (व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी प्लीज, समय हो रहा है।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर हम निश्चित रूप से सोचेंगें। सबसे ज्यादा प्रदेश की शिक्षा के बारे में हमने विद्या केन्द्र बनाने की बात की है जो हमारे रिहायशी विद्या केन्द्र होंगे, उसका बजट प्रावधान (व्यवधान) शायद आप लोगों ने बजट नहीं पढ़ा होगा। उसका बजट प्रावधान 25 करोड़ है। ढाई करोड़ प्रति स्कूल और बाकी हर 68 स्कूलों में यह होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो इन्होंने कहा है (व्यवधान)कृपया एक मिनट आप सुन लीजिए। आपने कुछ बाद में करना हो। अध्यक्ष महोदय, बातें निजी स्कूलों के बारे में भी थी और सरकारी स्कूलों के बारे में भी थी। माननीय जगत सिंह नेगी जी वकील हैं। यहां पर सभी लोग वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और सभी लोगों को मालूम है कि हिन्दुस्तान में राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया है। उसमें ये सारी चीजें हैं कि किस नॉर्म्ज़ के अन्दर कॉलेज खुलेंगे, किसमें स्कूल खुलेंगे, किस प्रकार से सारी व्यवस्था होगी। निजी स्कूलों के बारे में भी सब कुछ उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में दर्ज़ है। ट्रांसफर के बारे में उसमें दर्ज़ है। (व्यवधान) आपने लागू नहीं किया। जो तीन साल में लागू होना चाहिए था उसको आपने लागू नहीं किया। आपने बिना नॉर्म्ज़ के स्कूल खोल दिए। माननीय हर्ष वर्धन चौहान जी आपने रोनाहट की बात की। वहां पर कॉलेज़ खुला है और हमने कोई घोषणा नहीं की कि किसी को बन्द करेंगे । अभी हम समीक्षा कर रहे हैं। जहां पर चलने वाला होगा, वहां हम चलाएंगे। लेकिन आपके यहां पर 17 सितम्बर, 2017 को कॉलेज़ की घोषणा होती है और 18 सितम्बर को आप ज़मीन गिफ्ट भी कर देते हैं।

29.03.2018/1430/SS-YK/1

शिक्षा मंत्री क्रमागतः और जमीन भी वो वाली जमीन जो ऑलरेडी गवर्नमैंट की जमीन है। उसको आप गिफ्ट कर रहे हैं। कॉमन लैंड कभी गिफ्ट नहीं हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति थी।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, केवल एक मिनट।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बाकी जितने पैट, पैरा और एस0एम0सी0 हैं हम इन सबको सैटल करेंगे। हम इनको सैटल करके देंगे। ये सारी की सारी जो गड़बड़ें कर रखी हैं ये सब इनकी तरफ से हुई हैं। इन्होंने पैट को 21500 रुपये दे दिये और उसी काम को करने वाले

ग्रामीण विद्या उपासक को क्योंकि वे हमारे टाइम लगे थे इसलिए इन्होंने केवल उन्हें 15500 रुपये दे रखे हैं। डिसक्रिमिनेशन ये करते रहे हैं। एस0एम0सी0 जिस भी वक्त की लगी होगी, अभी हमने 20 प्रतिशत बढ़ाया है। जो सुप्रीम कोर्ट में पंकज कुमार के नाम से केस था वह अब विदड्रा हो गया है उसके अन्तर्गत हम सारे के सारे जितने एस0एम0सी0, पैट, पैरा या पी0टी0ए0 हैं, चाहे आपने जिस प्रकार से लगाए हैं, उन सब की हम प्रॉपर पॉलिसी बनायेंगे या रेगुलराईजेशन करेंगे। उस सारे को हम सैटल करेंगे। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जे0बी0टी0 टीचर को जो पहली से पांचवी कक्षा तक पढ़ाता है उसमें 4500 रुपये वाला टीचर भी पढ़ा है और वही क्लासिज़ और सब्जैक्ट्स 22500 रुपये लेने वाला टीचर भी पढ़ा रहा है। यह डिस्पैरिटी शिक्षा में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सब के लिए समान होनी चाहिए। सब को ईवन लेवल (आर्टिकल-14) पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए चाहे वे निजी स्कूल हैं, निजी स्कूलों पर भी फीस को छोड़ करके आर0टी0ई0 ऐक्ट में ऐक्शन ले सकते हैं। फीस के बारे में भी हम तय करेंगे अदरवाइज आर0टी0ई0 ऐक्ट के अंदर हम सब चीज़ें ऑन लाइन डाल देंगे। उनकी क्वालिफिकेशन, अगर उनके टीचर ठीक नहीं होंगे तो हम स्कूल को बंद कर देंगे। वह आर0टी0ई0 ऐक्ट में हमारे पास पावर है। वह पावर आपके पास भी थी लेकिन आपने वह लागू नहीं की। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए चाहे कोई माननीय सदस्य किसी भी पार्टी का क्यों न हो क्योंकि शिक्षा अच्छे नागरिक बनाती है। माननीय वीरभद्र सिंह जी

29.03.2018/1430/SS-YK/2

बैठे हैं बुशहर स्टेट शिक्षा के लिए बहुत मशहूर मानी जाती थी। लेट राजा पदम सिंह जी उच्च शिक्षा के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने जितने हिमाचल के फर्स्ट हैड ऑफ डिपार्टमैंटस थे सब के सब बुशहर स्टेट से उन्होंने पढ़ने के लिए लाहौर और लखनऊ तक भेजे थे। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने बहुत काम किया है। हमारी एक्सपैंशन हुई है। दूर-दराज तक हमारा स्कूल गया है, लेकिन आज स्कूल तो वहां चला गया लेकिन वह खाली हो गया है। वहां स्टूडैंट्स नहीं हैं। कहीं स्टूडैंट्स हैं तो टीचर नहीं हैं। एक टीचर पांच

क्लासिज़ नहीं पढ़ा सकता है, यह सब को समझने की बात है। हमारे सिंगल टीचर स्कूल 1100 से ज्यादा हैं और आपने भी इस प्रकार स्कूल बंद किये थे। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, कट-मोशन वापिस लेने का आग्रह करें।

शिक्षा मंत्रीः आपने भी 158 स्कूल्ज़ 2016 में बंद किये थे और 109 स्कूलों का मर्जर किया था। इसलिए आप सब लोग सहयोग दें। हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश शिक्षा में पहले नम्बर पर रहे। जो हमारा नेशनल अचीवमैंट सर्वे है उसमें जो माननीय अनिरूद्ध सिंह जी ने कहा, वह बिल्कुल ठीक कहा है कि आठवीं के बच्चे को तीसरी कक्षा का सवाल नहीं आता है। वह तीसरी कक्षा का सवाल भी आए इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का विचार आया है। --(व्यवधान)--मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लें।

अध्यक्षः माननीय शिक्षा मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हैं?

29.03.2018/1430/SS-YK/3

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रूसा पर यू-टर्न ले लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एनाउंसमैंट होती रही कि रूसा को बंद किया जायेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी। यह अखबारों में बार-बार एनाउंसमैंट आई थी। आज ये वायदे से मुकर रहे हैं। तीन महीनों में हज़ारों ट्रांसफरें कर दी हैं, तबादला नीति का शोर मचा रहे है, ऐक्ट ला रहे हैं, नीति ला रहे हैं। सारी अखबारें भर गई हैं और कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है, मंत्री जी ने सिर्फ राजनीतिक भाषण दिया है। शिक्षा की गुणवत्ता की कोई बात नहीं की है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रैंथन किया जायेगा, उसकी बात नहीं की। --(व्यवधान)--

29.03.2018/1435/केएस/एजी/1

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, राम लाल ठाकुर, सुखिवन्द्र सिंह सुक्खु, नन्द लाल, लखविन्द्र सिंह

राणा, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाए।

(प्रस्ताव गिर गया)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः8- शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः मु0 61,24,08,90,000/- एवं 1,05,72,15,000/- रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

अब मैं गिलोटिन अप्लाई करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1,2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः मु0 3,15,88,80,59,000/- एवं 47,45,76,31,000/- रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी दी जाए ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए)

29.03.2018/1435/केएस/एजी/2

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1,2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31, और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः मु0 3,15,88,80,59,000/- एवं 47,45,76,31,000/- रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

29.03.2018/1435/केएस/एजी/3

<u>विधायी कार्य :</u>

<u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करेंगें।

29.03.2018/1435/केएस/एजी/4

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

29.3.2018/1440/av/dc/1

अध्यक्ष ---- जारी

<u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

29.3.2018/1440/av/dc/2

अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव पारित हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) के पारित होने की मैं सम्पूर्ण सदन को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

29.3.2018/1440/av/dc/3

अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के 2.00 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 29.3.2018 **सचिव।**